

कार्यालय प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ.ग.)

E-mail: govtcollege.arjunda1988@gmail.com

प. क्र. 624/2021

अर्जुन्दा, दिनांक 23/02/2021

प्रति,

प्राचार्य, (अग्रणी)
शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त
स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद,
जिला - बालोद (छ.ग.)

विषय :- महाविद्यालय हेतु स्वीकृत किए गए समस्त सेट-अप की छायाप्रति का प्रेषण ।

संदर्भ :- कार्यालय आयुक्त, का पत्र क्र. 170/11/आ.उ.शि./योजना/2020-21 अटल नगर,
दिनांक 19.02.2021

— 00 —

विषयांतर्गत महाविद्यालय के लिए स्वीकृत किए गए सेट-अप की छायाप्रति संलग्न कर
प्रेषित है ।

1. पत्र क्रमांक एफ 1-85/2004/38 रायपुर दिनांक 30.11.2004
2. पत्र क्रमांक 146/आउशि/ब. यो./05 रायपुर दिनांक 17.10.2005
3. पत्र क्रमांक एफ 5-44/2005/38 रायपुर दिनांक 09.09.2005
4. पत्र क्रमांक एफ 5-29/2007/38 रायपुर दिनांक 05.07.2007
5. पत्र क्रमांक 997/आउशि/ब. यो./08 रायपुर दिनांक 21.05.2008
6. पत्र क्रमांक 408/131/आउशि/राज.स्था./2006 रायपुर दिनांक 19.03.2008
7. पत्र क्रमांक/एफ-3-21/2011/38-1 रायपुर दिनांक 03.02.2012
8. पत्र क्रमांक/एफ 3-4/2018/38-1 रायपुर दिनांक 03.08.2018

उपरोक्तानुसार सेट-अप का PDF आपकी ओर प्रेषित है ।



प्र. प्राचार्य
PRINCIPAL
शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा
Govt. College, Arjunda
जिला - बालोद (छ.ग.)
Distt. Baloda (C.G.)



छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं जनशक्ति नियोजन,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 1-25/2004/28,
प्रति,

रायपुर, दिनांक 30-11-2005

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
रायपुर छ.ग.

विषय— उच्च शिक्षा संचालनालय के मैदानी कार्यालय (शासकीय महाविद्यालयों) के सेटअप के सम्बन्ध में ।

राज्य शासन द्वारा संलग्न सूची में दर्शाये अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य स्थित 116 शासकीय महाविद्यालयों के लिये कुल 4551 पदों के सेटअप की स्वीकृति प्रदान की जाती है । संस्थावार पदों की सूची संलग्न परिशिष्ट में है । स्वीकृति की शर्त निम्नानुसार होगी :-

1. सेटअप में उल्लिखित पदों के वेतनमान की पुष्टि कर ली गई है ।
 2. आयोजना के सभी पद अस्थायी एवं आयोजनोत्तर के सभी पद स्थायी होंगे ।
 3. उक्त संस्थाओं हेतु पद निर्माण सम्बन्धी सभी पूर्व आदेश स्वयमेव अधिक्रमित माने जावेगे ।
 4. पदों को भरने के लिये प्रस्ताव पृथक से वित्त विभाग की सहमति हेतु भेजे जायें ।
 5. विभागीय भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन कर लिया जावेगा ।
2. यह स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के मू.ओ. क्रमांक 537/1245./ वित्त विभाग/ब-3/2005, दिनांक .10/11/2005. के द्वारा दी गई सहमति अनुसार जारी की गई है ।

संलग्न :- स्वीकृत सेटअप की प्रति ।

छत्तीसगढ़ के राज्यापाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी.डी. गुप्ता) 26/11/05

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग


क.	पद नाम	वेतनमान	स्वीकृत पद		टिप्पणियाँ
			स्थायी	अस्थायी	
1	2	3	4	5	6
31	चौकीदार	2550-3200	1		
32	स्वीपर	2550-3200	1		कलेक्टर दर पर
	योग :-		47	1	
35. शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा, ✓					
मांगसंख्या-44-2202-03-(103)(798) - आयोजनेत्तर /आयोजना					
1	प्राचार्य	12000-18300	1		
2	प्राध्या. राजनीति ✓	12000-18300	1		
3	प्राध्या. समाजशास्त्र ✓	12000-18300	1		
4	प्राध्या. वाणिज्य ✓	12000-18300		1	
5	स.प्रा. हिन्दी ✓	8000-13500	2		
6	स.प्रा. भूगोल ✓	8000-13500	1		
7	स.प्रा. समाजशास्त्र ✓	8000-13500	1		
8	स.प्रा. राजनीति ✓	8000-13500	1		
9	स.प्रा. अर्थशास्त्र ✓	8000-13500	1		
10	स.प्रा. अंग्रेजी ✓	8000-13500	1		
11	स.प्रा. वाणिज्य ✓	8000-13500	2	1	
12	स.प्रा. गृहविज्ञान ✓	8000-13500	1		
13	स.प्रा. भौतिकशास्त्र ✓	8000-13500		1	
14	स.प्रा. गणित ✓	8000-13500		1	
15	स.प्रा. रसायनशास्त्र ✓	8000-13500		1	
16	स.प्रा. प्राणीशास्त्र ✓	8000-13500		1	
17	स.प्रा. वनस्पतिशास्त्र ✓	8000-13500		1	
18	कीड़ा अधिकारी	8000-13500	1		
19	ग्रन्थपाल	8000-13500	1		
20	सहा.रोड-2	4000-6000	1		
21	सहा.रोड-3	3050-4590	2		
22	प्रयो. तकनीशियन	4000-6000	1	4	

क.	पद नाम	वेतनमान	स्वीकृत पद		रिमाक
			स्थायी	अस्थायी	
1	2	3	4	5	6
23	प्रयो. परिचारक	2750-4400	1	4	
24	भृत्य	2550-3200	2		
25	बुकलिफटर	2550-3200	1		
26	चौकीदार	2550-3200	1		
27	स्वीपर	2550-3200	1		
	योग :-		25	15	

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय
शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 146 /आउशि/ब-यो./05
प्रति,

रायपुर, दिनांक 17.10.05



प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा
जिला - दुर्ग (छ.ग.)।

विषय :- शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा जिला - दुर्ग में स्नातक स्तर पर विज्ञान एवं स्नातकोत्तर स्तर पर वाणिज्य संकाय प्रारंभ करने की स्वीकृति बाबत।
संदर्भ :- छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ - 5 - 44/2005/38 रायपुर दिनांक 09.09.2005

राज्य शासन के संदर्भित आदेशानुसार शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा जिला - दुर्ग में स्नातक स्तर पर विज्ञान तथा स्नातकोत्तर स्तर पर वाणिज्य संकाय चालू शैक्षणिक सत्र 2005 -06 में प्रारंभ करने तथा कुल 15 पद सृजन करने की स्वीकृति वित्त विभाग की पृ. क्रमांक 426/1356/बजट - 3/चार दिनांक 27.08.2005 द्वारा सहमति प्रदान की गई है। उक्त पदों का वर्गीकृत विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	पद संख्या	वेतनमान
शैक्षणिक पद			
1.	प्राध्यापक (वाणिज्य)	01	12000 - 18300
2.	सहायक प्राध्यापक (गणित, भौतिकी, रसायन प्राणी, वनस्पति, वाणिज्य)	06	8000 - 13500
अशैक्षणिक पद			
3.	प्रयोगशाला तकनीशियन	04	4000 - 6000
4.	प्रयोगशाला परिचारक	04	2750 - 4400
		योग :-	15

उपरोक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2005 - 06 में मांग संख्या - 44 - उच्च शिक्षा - 2202 - सामान्य शिक्षा (03) - वि.वि. और उच्च शिक्षा - 103 - सरकारी कॉलेज और संस्थाएँ - 0101 - राज्य आयोजना (सामान्य) - 798 - कला, विज्ञान, वाणिज्य महाविद्यालय आयोजना मद के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

(डॉ. ए.ख.व्ही. प्रसाद)

आयुक्त

उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक /आउशि/ब-यो./05

रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर।
3. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर।
4. जिला कोषालय अधिकारी, - दुर्ग छत्तीसगढ़।
5. शाखा प्रभारी, अधिकारी, राजपत्रित/अराजपत्रित उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संयुक्त संचालक (वित्त)

उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ.ग.)

छत्तासगढ शासन
उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय

कमांक एफ 5-44/2005/38
प्रति,

रायपुर, दिनांक 9

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
रायपुर ।



विषय:-शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा जिला दुर्ग में स्नातक स्तर पर विज्ञान तथा स्नातकोत्तर स्तर पर वाणिज्य संकाय प्रारंभ करने की स्वीकृति बावत् ।

—00—

राज्य शासन द्वारा, प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा जिला दुर्ग में स्नातक स्तर पर विज्ञान तथा स्नातकोत्तर स्तर पर वाणिज्य संकाय चालू शैक्षणिक सत्र 2005-06 में प्रारंभ करने तथा निम्नानुसार कुल 15 पदों के सृजन की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

कमांक	महाविद्यालय का नाम	स्नातक	स्नातकोत्तर
1.	शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा	विज्ञान	वाणिज्य

2/ उक्त नवीन संकाय/विषय प्रारंभ करने हेतु पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

कमांक	पदनाम	पद संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1	प्राध्यापक	01	12000-18300
2	सहायक प्राध्यापक	06	8000-13500
3	प्रयोगशाला तकनीशियन	04	4000-6000
4	प्रयोगशाला परिचारक	04	2750-4400
	योग:-	15	

3/ उपरोक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2005-06 में मांग संख्या 44-उच्च शिक्षा 2202-सामान्य शिक्षा-03-वि.वि.और उच्च शिक्षा-103 सरकारी कॉलेज और संस्थाएँ-798 कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय योजना मद के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

निरन्तर/—2

ल/उच्च शिक्षा/रायपुर

4/ यह सहमति वित्त विभाग के यू0ओ0कमांक 426/1356/ बजट-3
/चार/2005 दिनांक 27.08.2005 द्वारा दी गई है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(Handwritten Signature)

(जी0डी0 गुप्ता) ११११ जे

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृष्ठांकन कमांक: एफ 5-44/2005/38 रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर, 2005
प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव, मान0 मुख्य मंत्री जी, छ0ग0, रायपुर ।
- 2- निज सचिव, मान0 मंत्री जी, उच्च शिक्षा, छ0ग0, रायपुर ।
- 3- महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
- 4- सचिव, छ0ग0शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
- 5- कलेक्टर, दुर्ग छ0ग0 ।
- 6- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर ।
- 7- प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा जिला दुर्ग ।
- 8- जिला कोषालय अधिकारी, दुर्ग छ0ग0 ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(Handwritten Signature)

(जी0डी0 गुप्ता) ११११ जे

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय
शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)



क्रमांक 997 / आउशि/ब-यो./08
प्रति,

प्राचार्य,
संबंधित शासकीय महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़

विषय :- स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय प्रारंभ करने हेतु।
संदर्भ :- छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ - 5 - 29/2007/38 रायपुर
दिनांक 05.07.2007

XXXXXX

राज्य शासन के संदर्भित आदेशानुसार प्रदेश के निम्नांकित शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय शैक्षणिक सत्र 2007 - 08 से प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है। उक्त पदों व विषयों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	महाविद्यालय का नाम	संकाय	विषय	कुल पद	वेतनमान
			स्नातकोत्तर	प्राध्या.	
1	2	3	4	5	6
1	शास. महा., अम्बागढ़ चौकी	कला	अर्थशास्त्र	1	12000-18300
2	शास. महा., डभरा	कला	राजनीति	1	12000-18300
3	शास. महा., सरायपाली	कला	हिन्दी	1	12000-18300
			भूगोल	1	12000-18300
4	शास. महा., भिलाई - 3	कला	राजनीति	1	12000-18300
5	शास. दन्तेश्वरी महिला महा., जगदलपुर	कला	मानवविज्ञान	1	12000-18300
6	शास. दू.ब. महिला महा., रायपुर	विज्ञान	गणित	1	12000-18300
7	शास. महा., बालोद	विज्ञान	वनस्पति	1	12000-18300
8	शास. महा., अर्जुन्दा	कला	अर्थशास्त्र	1	12000-18300
9	शास. महा., पंडरिया	कला	हिन्दी	1	12000-18300

2. उपरोक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2007 - 08 में मांग संख्या - 44 - उच्च शिक्षा - 2202 - सामान्य शिक्षा (03) - वि.वि. और उच्च शिक्षा - 103 - सरकारी कॉलेज और संस्थाएँ - 0101 - राज्य आयोजना (सामान्य) - 798 - कला, विज्ञान, वाणिज्य महाविद्यालय आयोजना मद के अन्तर्गत विकलनीय होगा।


3. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 431/10863/वित्त/बजट - 3/2007, दिनांक 14.06.2007 द्वारा दी गई है।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक (टी)

उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ.ग.)

20/02/07
11/02/07
[Handwritten notes]



छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक-एफ 5-29/2007/38

रायपुर, दिनांक: 5/7/2007

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
रायपुर।

विषय:- शासकीय महाविद्यालयों में विज्ञान संकाय/वाणिज्य संकाय/स्नातक एवं स्नातकोत्तर विषय खोले जाने/पद निर्माण स्वीकृति ।

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के 17 शासकीय महाविद्यालयों में (सूची संलग्न है) नवीन विषय/संकाय खोले जाने हेतु 48 पदों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	पद संख्या
01	प्राध्यापक	रु० 12000-18300	10
02	सहायक प्राध्यापक	रु० 8000-13500	19
03	प्रयोग शाला तकनीशियन	रु० 4000-6000	10
04	प्रयोग शाला परिचायक	रु० 2750-4400	09
			कुल 48 पद

उक्त व्यय मांग संख्या - 44, उच्च शिक्षा - 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा - 103 - सरकारी कालेज और संस्थाएं - 0101 - राज्य आयोजना (सामान्य) 798 - कला/विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय 01 वेतन भत्ते के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

यह सहमति वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 431/10863/वित्त/ब-3/2007 दिनांक 14/6/2007 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

[Handwritten signature]
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग

नवीन विषय / संकाय प्रारंभ करने वाले महाविद्यालयों की सूची

क्र०	महाविद्यालय का नाम	स्नातक	स्नाकोत्तर
1	शासकीय महाविद्यालय उभरा	-	राजनीति शास्त्र
2	शासकीय महाविद्यालय अंबागढ़ चौकी	गृह विज्ञान	अर्थशास्त्र
3	शासकीय महाविद्यालय चारामा	विज्ञान	-
4	शासकीय महाविद्यालय सरायपाली	-	हिन्दी, भूगोल
5	शासकीय दन्तेश्वरी महाविद्यालय जगदलपुर	-	मानव विज्ञान
6	शासकीय कन्या महाविद्यालय धमतरी	भूगोल	-
7	शासकीय महाविद्यालय भिलाई-3	-	राजनीति शास्त्र
8	शासकीय कन्या महाविद्यालय महासमुंद	गणित	-
9	शासकीय महाविद्यालय पत्थलगांव	विज्ञान	-
10	शासकीय महाविद्यालय आरंग	विज्ञान	-
11	शासकीय दू.ब. महिला महाविद्यालय रायपुर	-	गणित
12	शासकीय महाविद्यालय बालौद	-	वनस्पति शास्त्र
13	शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा	-	अर्थशास्त्र
14	शासकीय महाविद्यालय पंडरिया	-	हिन्दी
15	शासकीय महाविद्यालय नारायणपुर	गणित	-
16	शासकीय महाविद्यालय अभनपुर	गणित	-
17	शासकीय महाविद्यालय तिल्दा नेवरा	गणित	-


 (प्र. प्र. प्र. प्र. प्र.)
 अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय
शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 408 / 131 / आउशि / राज.स्था. / 2008

रायपुर, दिनांक 19-03-2008

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़,

विषय :- महाविद्यालय का संशोधित सेट-अप उपलब्ध कराने बाबत।

-0-

विषयांतर्गत लेख है कि शासन द्वारा शैक्षणिक पदों का युक्तियुक्तकरण एवं नये व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने तथा सेट-अप के स्वीकृति के पश्चात सृजित 24 नवीन महाविद्यालय एवं समय-समय पर आवश्यकतानुसार स्वीकृत पदों को सम्मिलित करते हुये आपके महाविद्यालय का संशोधित सेट-अप आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर भेजा जा रहा है।

उपरोक्त पदों की यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ.क्र. द्वारा दी गई है :-

1. यू.ओ.क्र. 537 / 1245 / वित्त विभाग / बजट-3 / 05 दिनांक 10.11.05 .
2. यू.ओ.क्र. 338 / 1078 / वित्त विभाग / बजट-3 / 05 दिनांक 25.06.05 .
3. यू.ओ.क्र. 438 / 1365 / वित्त विभाग / बजट-3 / 05 दिनांक 01.09.05 .
4. यू.ओ.क्र. 436 / 1366 / वित्त विभाग / बजट-3 / 05 दिनांक 01.09.05 .
5. यू.ओ.क्र. 385 / 2817 / वित्त विभाग / बजट-3 / 06 दिनांक 01.07.06 .
6. यू.ओ.क्र. 399 / 2552 / वित्त विभाग / बजट-3 / 06 दिनांक 07.07.06 .
7. यू.ओ.क्र. 388 / 2898 / वित्त विभाग / बजट-3 / 06 दिनांक 03.07.06 .
8. यू.ओ.क्र. 340 / 2558 / वित्त विभाग / बजट-3 / 06 दिनांक 06.06.06 .
9. यू.ओ.क्र. 431 / 4671 / वित्त विभाग / बजट-3 / 06 दिनांक 01.08.06 .
10. यू.ओ.क्र. 445 / 2896 / वित्त विभाग / बजट-3 / 06 दिनांक 18.08.06 .
11. यू.ओ.क्र. 367 / 2784 / वित्त विभाग / बजट-3 / 06 दिनांक 14.06.06 .
12. यू.ओ.क्र. 546 / 8127 / वित्त विभाग / बजट-3 / 06 दिनांक 06.08.06 .
13. यू.ओ.क्र. 564 / 8129 / वित्त विभाग / बजट-3 / 06 दिनांक 22.11.06 .
14. यू.ओ.क्र. 3005 / वित्त विभाग / बजट-3 / 06 दिनांक 03.07.06 .
15. यू.ओ.क्र. 594 / 14780 / वित्त विभाग / बजट-3 / 07 दिनांक 18.09.07 .

38 शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा, जिला दुर्ग(छ.ग.) ✓

मांगसंख्या-44-2202-03-(103)(798)- आयोजनेत्तर / आयोजना

क्र.	पद नाम	वेतनमान	स्वीकृत पद		रिमार्क
			स्थायी	अस्थायी	
1	प्राचार्य	12000-18300	1		
2	प्राध्या. वाणिज्य	12000-18300	-	1	
3	प्राध्या. राजनीति	12000-18300	1		
4	प्राध्या. समाजशास्त्र	12000-18300	1		
5	स.प्रा. भौतिकशास्त्र	8000-13500	-	1 /	
6	स.प्रा. वनस्पति	8000-13500	-	1 /	
7	स.प्रा. प्राणीशास्त्र	8000-13500	-	1 /	
8	स.प्रा. रसायन	8000-13500	-	1 /	
9	स.प्रा. गणित	8000-13500	-	1 /	
10	स.प्रा. हिन्दी	8000-13500	2 /		
11	स.प्रा. अंग्रेजी	8000-13500	1 /		
12	स.प्रा. राजनीतिशास्त्र	8000-13500	1 /		
13	स.प्रा. समाजशास्त्र	8000-13500	1 /		
14	स.प्रा. अर्थशास्त्र	8000-13500	1 /		
15	स.प्रा. वाणिज्य	8000-13500	2 /	1 /	
16	स.प्रा. गृहविज्ञान	8000-13500	1 /		
17	स.प्रा. भूगोल	8000-13500	1 /		
18	क्रीडा अधिकारी	8000-13500	1		
19	ग्रन्थपाल	8000-13500	1		
20	सहायक ग्रेड-2	4000-6000	1		
21	सहायक ग्रेड-3	3050-4590	2		
22	प्रयो. तकनीशियन	4000-6000	1	4	
23	प्रयो. परिचारक	2750-4400	1	4	
24	बुकलिफ्टर	2550-3200	1		
25	भृत्य	2550-3200	2		
26	चौकीदार	2550-3200	1		
27	स्वीपर	2550-3200	1		
योग :-			25	15	

[Signature]
 अपर संचालक
 उच्चशिक्षा संचालनालय,
 रायपुर (छ.ग.)



छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक
प्रति,

/एफ 3-21/2011/38-1

रायपुर, दिनांक /02/2012

अपर संचालक,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
रायपुर (छ0ग0)।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2011-12 के मुख्य बजट में सम्मिलित महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर, पाठ्यक्रम/विषय प्रारंभ करने की अनुमति बाबत।

राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित 23 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर, पाठ्यक्रम/विषय प्रारंभ करने हेतु 110 पदों की सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

अनु. क्र०	महाविद्यालय का नाम	नवीन विषय/पाठ्यक्रम									
		स्नातक	स्वीकृत पद				स्नातकोत्तर	स्वीकृत पद			
			प्राध्यापक	सहा. प्राध्यापक	प्रयो. तकनी.	प्रयो. परिचा.		प्राध्यापक	सहा. प्राध्याप.	प्रयो. तकनी.	प्रयो. परिच.
1	शास० दतेश्वरी कन्या महावि. जगदलपुर	-	-	-	-	-	एम.एच.एस. सी.	1	1	1	2
2	शासकीय महाविद्यालय पंखाजूर	बी.एस.सी. विज्ञान संकाय बायो. एवं गणित गुप (गणित, भौतिक रसायन प्राणी वनस्पति) प्रत्येक विषय के लिए 1-1 सहा. प्राध्यापक	-	5	3	3	-	-	-	-	-
	शासकीय महाविद्यालय वाङ्गफनगर	बी.एस.सी. विज्ञान संकाय बायो. एवं गणित गुप (गणित, भौतिक रसायन प्राणी, वनस्पति) प्रत्येक विषय के लिए 1-1 सहा. प्रा.	-	5	3	3	-	-	-	-	-

स्वापना वि. पाठक
10/2/12

निरंतर

//2//

नवीन विषय/पाठ्यक्रम


अनु. क.	महाविद्यालय का नाम	स्नातक	स्वीकृत पद				स्नातकोत्तर	स्वीकृत पद			
			प्राध्यापक	सहा. प्राध्यापक	प्रयो. तकनी.	प्रयो. परिचा.		प्राध्यापक	सहा. प्राध्याप.	प्रयो. तकनी.	प्रयो. परिच.
4	शास. वि०भू० दे०कन्या महावि. जशपुर	विज्ञान संकाय बायो, बी०एस० सी० गणित युप एवं कम्प्यूटर साईंस, गणित भौतिक, रसायन, प्राणी, वनस्पति प्रत्येक विषय के लिए 1-1 सहा. प्रा.	-	6	4	4	-	-	-	-	-
5	शासकीय कन्या महाविद्यालय अम्बिकापुर	-	-	-	-	-	एम०एच०एस. सी०फुड एवं न्यूट्रिशन	1	1	1	2

2/- उक्त व्यय मांग संख्या 41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-2202-सामान्य शिक्षा-(03) विश्वविद्यालयीन और उच्च शिक्षा-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना--(103)-सरकारी कॉलेज और संस्थाये--798-कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय आदिवासी क्षेत्र उपयोजना मद के अंतर्गत विकलनीय होगा।

6	शासकीय महावि. बिलासपुर	एल०एल०बी	-	1	-	-	-	-	-	-	-
7	शासकीय कला महाविद्यालय पिथौरा	वाणिज्य	-	2	-	-	-	-	-	-	-
8	शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा	भूगोल	-	1	1	1	-	-	-	-	-
9	शासकीय महाविद्यालय कुरुद	स्नातक स्तर पर सीट वृद्धि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	शासकीय महावि. खरौद	बी.एस.सी., विज्ञान, संकाय बायो एवं गणित युप, (गणित, भौतिक, रसायन प्राणी, वनस्पति) प्रत्येक विषय के लिए 1-1 सहा. प्रा०	-	5	3	3	-	-	-	-	-
11	शासकीय महावि. अमनपुर	वाणिज्य/ भूगोल, वाणिज्य -2 सहा प्रा. भूगोल-1 सहा. प्रा०	-	3	1	1	-	-	-	-	-
12	शासकीय महावि. सरगांव	अर्थशास्त्र	-	1	-	-	-	-	-	-	-
13	शासकीय कला एवं विज्ञान पी०जी० महावि. दुर्ग	समाजशास्त्र	-	1	-	-	-	-	-	-	-
14	शासकीय महावि. गडई	बी.एस.सी. विज्ञान संकाय गणित युप, (गणित, भौतिक, रसायन)	-	3	2	2	-	-	-	-	-
15	शासकीय महावि. पथरिया	बी०काम	-	2	-	-	-	-	-	-	-

निरंतर

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर



रायपुर, दिनांक 03/08/2018

क्रमांक एफ 3-4/2018/38-1

प्रति,
श्री. राजेश कुमार,
उच्च शिक्षा विभाग,
महानदी भवन,
नया रायपुर,
छत्तीसगढ़,
दि. 06/08/2018

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नया रायपुर।

विषय :- प्रदेश के 35 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन संकाय/
विषय/पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति बाबत।
संदर्भ :- आपकी टीप पं. क्रमांक 19/आउशि/योजना/नवीन/विषय/2018-19 दिनांक
31/05/2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित टीप के परिपेक्ष्य में 35 शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालयों में सत्र 2018-19 में नवीन विषय/पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति दी जाती है जो
निम्नानुसार है :-

मांग संख्या-44-राज्य आयोजना सामान्य

महाविद्यालयों की संख्या-24

क्र.	महाविद्यालय का नाम	स्वीकृत पाठ्यक्रम / विषय / सीट संख्या			नवीन सृजित
		पाठ्यक्रम	विषय	सीट	पद
1	शासकीय नागार्जुन पी.जी. विज्ञान महाविद्यालय, जिला-रायपुर	एम.एस.सी.	माइक्रोबायोलॉजी	30	1
		एम.एस.सी.	सूचना प्रौद्योगिकी	30	1
2	शासकीय दू.ब. महिला महाविद्यालय जिला रायपुर	एम.ए.	लोक प्रशासन	25	1
		पीजी इन वूमन स्टडीज	जेण्डर इशू (वूमन स्टीज सेंटर के अन्तर्गत)	30	
		पीजी डिप्लोमा इन साइकोलाजीकन गार्डिडेंस एवं काउंसिलिंग	काउंसिलिंग एवं गार्डिडेंस (साइकोलोजीकन विभाग के अन्तर्गत)	30	

3	शासकीय डी.के. पी. जी. महाविद्यालय बलौदाबाजार	एम.एस.सी	वनस्पतिशास्त्र	30	1
		एम.एस.सी	सूचना प्रौद्योगिकी	30	1
4	शासकीय महाविद्यालय कसडोल	एम.एस.सी	प्राणीशास्त्र	25	1
		एम.एस.सी	रसायनशास्त्र	25	1
5	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय गरियाबन्द	एम.ए.	समाजशास्त्र	30	1
		एम.कॉम	वाणिज्य	30	1
6	शासकीय महाविद्यालय बागबाहरा	एम.ए.	अर्थशास्त्र	30	1
		एम.एस.सी	रसायनशास्त्र	25	1
7	शासकीय महाविद्यालय सरायपाली	एम.एस.सी	रसायनशास्त्र	30	1
8	शासकीय बी.सी. एस. पी.जी. महाविद्यालय धमतरी	एम.एस.सी	प्राणीशास्त्र	30	1
		एम.एस.सी	भौतिकशास्त्र	30	1
		एम.एस.सी	सूचना प्रौद्योगिकी	30	1
9	शासकीय सुखराम नागे महाविद्यालय नगरी	एम.ए.	राजनीतिशास्त्र	30	1
		एम.ए.	समाजशास्त्र	30	1
10	शासकीय नवीन महाविद्यालय खुर्सीपार	एम.एस.सी	रसायनशास्त्र	30	1
		एम.ए.	अर्थशास्त्र	30	1
		एम.ए.	हिन्दी	30	1
11	शासकीय महाविद्यालय बोरी	एम.ए.	समाजशास्त्र	30	1
12	शासकीय महाविद्यालय अजुन्दा	एम.एस.सी	गणित	25	1
13	शासकीय नवीन महाविद्यालय बेरला	एम.एस.सी	भौतिकशास्त्र	30	1
		एम.ए.	हिन्दी	30	1




कार्यालय प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ.ग.)



स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी
सत्र 2016-17

क्र.	पदनाम	विषय	स्वीकृत पद संख्या
1	प्राचार्य	—	1
2	प्राध्यापक	राजनीति विज्ञान	1
		अर्थशास्त्र	1
		समाजशास्त्र	1
		वाणिज्य	1
3	सहायक प्राध्यापक	राजनीति विज्ञान	1
		अर्थशास्त्र	1
		समाज शास्त्र	1
		वाणिज्य	3
		गणित	1
		हिन्दी	2
		अंग्रेजी	1
		भूगोल	2
		गृह विज्ञान	1
		रसायन शास्त्र	1
		भौतिक शास्त्र	1
		वनस्पति शास्त्र	1
		जन्तु विज्ञान	1
4	ग्रंथपाल	—	1
5	क्रीडा अधिकारी	—	1
6	सहायक ग्रेड-2	—	1
7	सहायक ग्रेड-3	—	2
8	प्रयोगशाला तकनीशियन	—	6
9	प्रयोगशाला परिचारक	—	6
10	बुकलिफ्टर	—	1
11	भृत्य	—	2
12	चौकीदार	—	1
13	स्वीपर	—	1
	योग		44




PRINCIPAL
Govt. College, Arjunda
Distt. Balod (C.G.)




कार्यालय प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ.ग.)



स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी
सत्र 2017-18

क्र.	पदनाम	विषय	स्वीकृत पद संख्या
1	प्राचार्य	-	1
2	प्राध्यापक	राजनीति विज्ञान	1
		अर्थशास्त्र	1
		समाजशास्त्र	1
		वाणिज्य	1
3	सहायक प्राध्यापक	राजनीति विज्ञान	1
		अर्थशास्त्र	1
		समाज शास्त्र	1
		वाणिज्य	3
		गणित	1
		हिन्दी	2
		अंग्रेजी	1
		भूगोल	2
		गृह विज्ञान	1
		रसायन शास्त्र	1
		भौतिक शास्त्र	1
		वनस्पति शास्त्र	1
जन्तु विज्ञान	1		
4	ग्रंथपाल	-	1
5	क्रीड़ा अधिकारी	-	1
6	सहायक ग्रेड-2	-	1
7	सहायक ग्रेड-3	-	2
8	प्रयोगशाला तकनीशियन	-	6
9	प्रयोगशाला परिचारक	-	6
10	बुकलिफ्टर	-	1
11	भृत्य	-	2
12	चौकीदार	-	1
13	स्वीपर	-	1
	योग		44




PRINCIPAL
Govt. College, Arjunda
Distt. Balod (C.G.)



कार्यालय प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला - बालोद (छ.ग.)



स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी
सत्र 2018-19

क्र.	पदनाम	विषय	स्वीकृत पद संख्या
1	प्राचार्य	-	1
2	प्राध्यापक	राजनीति विज्ञान	1
		अर्थशास्त्र	1
		समाजशास्त्र	1
		वाणिज्य	1
		गणित	1
3	सहायक प्राध्यापक	राजनीति विज्ञान	1
		अर्थशास्त्र	1
		समाज शास्त्र	1
		वाणिज्य	3
		गणित	1
		हिन्दी	2
		अंग्रेजी	1
		भूगोल	2
		गृह विज्ञान	1
		रसायन शास्त्र	1
		भौतिक शास्त्र	1
		वनस्पति शास्त्र	1
जन्तु विज्ञान	1		
4	ग्रंथपाल	-	1
5	क्रीड़ा अधिकारी	-	1
6	सहायक ग्रेड-2	-	1
7	सहायक ग्रेड-3	-	2
8	प्रयोगशाला तकनीशियन	-	6
9	प्रयोगशाला परिचारक	-	6
10	बुकलिफ्टर	-	1
11	भृत्य	-	2
12	चौकीदार	-	1
13	स्वीपर	-	1
	योग		45



Pr
PRINCIPAL
Govt. College, Arjunda
Distt. Balod (C.G.)



कार्यालय प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला - बालोद (छ.ग.)



स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी

सत्र 2019-20

क्र.	पदनाम	विषय	स्वीकृत पद संख्या
1	प्राचार्य	-	1
2	प्राध्यापक	राजनीति विज्ञान	1
		अर्थशास्त्र	1
		समाजशास्त्र	1
		वाणिज्य	1
		गणित	1
3	सहायक प्राध्यापक	राजनीति विज्ञान	1
		अर्थशास्त्र	1
		समाज शास्त्र	1
		वाणिज्य	3
		गणित	1
		हिन्दी	2
		अंग्रेजी	1
		भूगोल	2
		गृह विज्ञान	1
		रसायन शास्त्र	1
		भौतिक शास्त्र	1
		वनस्पति शास्त्र	1
		जन्तु विज्ञान	1
4	ग्रंथपाल	-	1
5	क्रीड़ा अधिकारी	-	1
6	सहायक ग्रेड-2	-	1
7	सहायक ग्रेड-3	-	2
8	प्रयोगशाला तकनीशियन	-	6
9	प्रयोगशाला परिचारक	-	6
10	बुकलिफ्टर	-	1
11	भृत्य	-	2
12	चौकीदार	-	1
13	स्वीपर	-	1
	योग		45



R. P. Singh
PRINCIPAL
Govt. College, Arjunda
Distt. Balod (C.G.)



कार्यालय प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला - बालोद (छ.ग.)



स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी

सत्र 2020-21

क्र.	पदनाम	विषय	स्वीकृत पद संख्या
1	प्राचार्य	-	1
2	प्राध्यापक	राजनीति विज्ञान	1
		अर्थशास्त्र	1
		समाजशास्त्र	1
		वाणिज्य	1
		गणित	1
3	सहायक प्राध्यापक	राजनीति विज्ञान	1
		अर्थशास्त्र	1
		समाज शास्त्र	1
		वाणिज्य	3
		गणित	1
		हिन्दी	2
		अंग्रेजी	1
		भूगोल	2
		गृह विज्ञान	1
		रसायन शास्त्र	1
		भौतिक शास्त्र	1
		वनस्पति शास्त्र	1
जन्तु विज्ञान	1		
4	ग्रंथपाल	-	1
5	क्रीडा अधिकारी	-	1
6	सहायक ग्रेड-2	-	1
7	सहायक ग्रेड-3	-	2
8	प्रयोगशाला तकनीशियन	-	6
9	प्रयोगशाला परिचारक	-	6
10	बुकलिफ्टर	-	1
11	भृत्य	-	2
12	चौकीदार	-	1
13	स्वीपर	-	1
	योग		45



(Signature)

PRINCIPAL
Govt. College, Arjunda
Distt. Balod (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ.ग.)

E-mail: govtcollege.arjunda1988@gmail.com

प. क्र. 624/2021

अर्जुन्दा, दिनांक 23/02/2021

प्रति,

प्राचार्य, (अग्रणी)
शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त
स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद,
जिला - बालोद (छ.ग.)

विषय :- महाविद्यालय हेतु स्वीकृत किए गए समस्त सेट-अप की छायाप्रति का प्रेषण ।

संदर्भ :- कार्यालय आयुक्त, का पत्र क्र. 170/11/आ.उ.शि./योजना/2020-21 अटल नगर,
दिनांक 19.02.2021

— 00 —

विषयांतर्गत महाविद्यालय के लिए स्वीकृत किए गए सेट-अप की छायाप्रति संलग्न कर
प्रेषित है ।

1. पत्र क्रमांक एफ 1-85/2004/38 रायपुर दिनांक 30.11.2004
2. पत्र क्रमांक 146/आउशि/ब. यो./05 रायपुर दिनांक 17.10.2005
3. पत्र क्रमांक एफ 5-44/2005/38 रायपुर दिनांक 09.09.2005
4. पत्र क्रमांक एफ 5-29/2007/38 रायपुर दिनांक 05.07.2007
5. पत्र क्रमांक 997/आउशि/ब. यो./08 रायपुर दिनांक 21.05.2008
6. पत्र क्रमांक 408/131/आउशि/राज.स्था./2006 रायपुर दिनांक 19.03.2008
7. पत्र क्रमांक/एफ-3-21/2011/38-1 रायपुर दिनांक 03.02.2012
8. पत्र क्रमांक/एफ 3-4/2018/38-1 रायपुर दिनांक 03.08.2018

उपरोक्तानुसार सेट-अप का PDF आपकी ओर प्रेषित है ।



प्र. प्राचार्य
PRINCIPAL
शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा
Govt. College, Arjunda
जिला - बालोद (छ.ग.)
Distt. Baloda (C.G.)



छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं जनशक्ति नियोजन,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 1-25/2004/28,
प्रति,

रायपुर, दिनांक 30-11-2005

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
रायपुर छ.ग.


विषय— उच्च शिक्षा संचालनालय के मैदानी कार्यालय (शासकीय महाविद्यालयों) के सेटअप के सम्बन्ध में ।

राज्य शासन द्वारा संलग्न सूची में दर्शाये अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य स्थित 116 शासकीय महाविद्यालयों के लिये कुल 4551 पदों के सेटअप की स्वीकृति प्रदान की जाती है । संस्थावार पदों की सूची संलग्न परिशिष्ट में है । स्वीकृति की शर्त निम्नानुसार होगी :-

1. सेटअप में उल्लिखित पदों के वेतनमान की पुष्टि कर ली गई है ।
 2. आयोजना के सभी पद अस्थायी एवं आयोजनेत्तर के सभी पद स्थायी होंगे ।
 3. उक्त संस्थाओं हेतु पद निर्माण सम्बन्धी सभी पूर्व आदेश स्वयमेव अधिक्रमित माने जावेगे ।
 4. पदों को भरने के लिये प्रस्ताव पृथक से वित्त विभाग की सहमति हेतु भेजे जायें ।
 5. विभागीय भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन कर लिया जावेगा ।
2. यह स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के मू.ओ. क्रमांक 537/1245./ वित्त विभाग/ब-3/2005, दिनांक 10/11/2005 के द्वारा दी गई सहमति अनुसार जारी की गई है ।

संलग्न :- स्वीकृत सेटअप की प्रति ।

छत्तीसगढ़ के राज्यापाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(जी.डी. गुप्ता) 26/11/05

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग


क.	पद नाम	वेतनमान	स्वीकृत पद		टिप्पणियाँ
			स्थायी	अस्थायी	
1	2	3	4	5	6
31	चौकीदार	2550-3200	1		
32	स्वीपर	2550-3200	1		कलेक्टर दर पर
	योग :-		47	1	
35. शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा, ✓					
मांगसंख्या-44-2202-03-(103)(798) - आयोजनेत्तर /आयोजना					
1	प्राचार्य	12000-18300	1		
2	प्राध्या. राजनीति ✓	12000-18300	1		
3	प्राध्या. समाजशास्त्र ✓	12000-18300	1		
4	प्राध्या. वाणिज्य ✓	12000-18300		1	
5	स.प्रा. हिन्दी ✓	8000-13500	2		
6	स.प्रा. भूगोल ✓	8000-13500	1		
7	स.प्रा. समाजशास्त्र ✓	8000-13500	1		
8	स.प्रा. राजनीति ✓	8000-13500	1		
9	स.प्रा. अर्थशास्त्र ✓	8000-13500	1		
10	स.प्रा. अंग्रेजी ✓	8000-13500	1		
11	स.प्रा. वाणिज्य ✓	8000-13500	2	1	
12	स.प्रा. गृहविज्ञान ✓	8000-13500	1		
13	स.प्रा. भौतिकशास्त्र ✓	8000-13500		1	
14	स.प्रा. गणित ✓	8000-13500		1	
15	स.प्रा. रसायनशास्त्र ✓	8000-13500		1	
16	स.प्रा. प्राणीशास्त्र ✓	8000-13500		1	
17	स.प्रा. वनस्पतिशास्त्र ✓	8000-13500		1	
18	कीड़ा अधिकारी	8000-13500	1		
19	ग्रन्थपाल	8000-13500	1		
20	सहा.रोड-2	4000-6000	1		
21	सहा.रोड-3	3050-4590	2		
22	प्रयो. तकनीशियन	4000-6000	1	4	

क.	पद नाम	वेतनमान	स्वीकृत पद		रिमाक
			स्थायी	अस्थायी	
1	2	3	4	5	6
23	प्रयो. परिचारक	2750-4400	1	4	
24	भृत्य	2550-3200	2		
25	बुकलिफटर	2550-3200	1		
26	चौकीदार	2550-3200	1		
27	स्वीपर	2550-3200	1		
	योग :-		25	15	

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय
शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 146 /आउशि/ब-यो./05
प्रति,

रायपुर, दिनांक 17.10.05



प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा
जिला - दुर्ग (छ.ग.)।

विषय :- शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा जिला - दुर्ग में स्नातक स्तर पर विज्ञान एवं स्नातकोत्तर स्तर पर वाणिज्य संकाय प्रारंभ करने की स्वीकृति बाबत।
संदर्भ :- छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ - 5 - 44/2005/38 रायपुर दिनांक 09.09.2005

राज्य शासन के संदर्भित आदेशानुसार शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा जिला - दुर्ग में स्नातक स्तर पर विज्ञान तथा स्नातकोत्तर स्तर पर वाणिज्य संकाय चालू शैक्षणिक सत्र 2005 -06 में प्रारंभ करने तथा कुल 15 पद सृजन करने की स्वीकृति वित्त विभाग की पृ. क्रमांक 426/1356/बजट - 3/चार दिनांक 27.08.2005 द्वारा सहमति प्रदान की गई है। उक्त पदों का वर्गीकृत विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	पद संख्या	वेतनमान
शैक्षणिक पद			
1.	प्राध्यापक (वाणिज्य)	01	12000 - 18300
2.	सहायक प्राध्यापक (गणित, भौतिकी, रसायन प्राणी, वनस्पति, वाणिज्य)	06	8000 - 13500
अशैक्षणिक पद			
3.	प्रयोगशाला तकनीशियन	04	4000 - 6000
4.	प्रयोगशाला परिचारक	04	2750 - 4400
		योग :-	15

उपरोक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2005 - 06 में मांग संख्या - 44 - उच्च शिक्षा - 2202 - सामान्य शिक्षा (03) - वि.वि. और उच्च शिक्षा - 103 - सरकारी कॉलेज और संस्थाएँ - 0101 - राज्य आयोजना (सामान्य) - 798 - कला, विज्ञान, वाणिज्य महाविद्यालय आयोजना मद के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

(डॉ. ए.ख.व्ही. प्रसाद)

आयुक्त

उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक /आउशि/ब-यो./05

रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर।
3. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर।
4. जिला कोषालय अधिकारी, - दुर्ग छत्तीसगढ़।
5. शाखा प्रभारी, अधिकारी, राजपत्रित/अराजपत्रित उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संयुक्त संचालक (वित्त)


उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ.ग.)

छत्तासगढ शासन
उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय

कमांक एफ 5-44/2005/38
प्रति,

रायपुर, दिनांक 9

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
रायपुर ।



विषय:-शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा जिला दुर्ग में स्नातक स्तर पर विज्ञान तथा स्नातकोत्तर स्तर पर वाणिज्य संकाय प्रारंभ करने की स्वीकृति बावत् ।

—00—

राज्य शासन द्वारा, प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा जिला दुर्ग में स्नातक स्तर पर विज्ञान तथा स्नातकोत्तर स्तर पर वाणिज्य संकाय चालू शैक्षणिक सत्र 2005-06 में प्रारंभ करने तथा निम्नानुसार कुल 15 पदों के सृजन की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

कमांक	महाविद्यालय का नाम	स्नातक	स्नातकोत्तर
1.	शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा	विज्ञान	वाणिज्य

2/ उक्त नवीन संकाय/विषय प्रारंभ करने हेतु पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

कमांक	पदनाम	पद संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1	प्राध्यापक	01	12000-18300
2	सहायक प्राध्यापक	06	8000-13500
3	प्रयोगशाला तकनीशियन	04	4000-6000
4	प्रयोगशाला परिचारक	04	2750-4400
	योग:-	15	

3/ उपरोक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2005-06 में मांग संख्या 44-उच्च शिक्षा 2202-सामान्य शिक्षा-03-वि.वि.और उच्च शिक्षा-103 सरकारी कॉलेज और संस्थाये-798 कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय योजना मद के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

निरन्तर/—2

ल/अ/श/१/१/१/१

4/ यह सहमति वित्त विभाग के यू0ओ0कमांक 426/1356/ बजट-3
/चार/2005 दिनांक 27.08.2005 द्वारा दी गई है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(Handwritten Signature)

(जी0डी0 गुप्ता) ११११ जे

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृष्ठांकन कमांक: एफ 5-44/2005/38 रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर, 2005
प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव, मान0 मुख्य मंत्री जी, छ0ग0, रायपुर ।
- 2- निज सचिव, मान0 मंत्री जी, उच्च शिक्षा, छ0ग0, रायपुर ।
- 3- महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
- 4- सचिव, छ0ग0शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
- 5- कलेक्टर, दुर्ग छ0ग0 ।
- 6- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर ।
- 7- प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा जिला दुर्ग ।
- 8- जिला कोषालय अधिकारी, दुर्ग छ0ग0 ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(Handwritten Signature)

(जी0डी0 गुप्ता) ११११ जे

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय
शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)



क्रमांक 997 /आउशि/ब-यो./08
प्रति,

प्राचार्य,
संबंधित शासकीय महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़

विषय :- स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय प्रारंभ करने हेतु।
संदर्भ :- छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ - 5 - 29/2007/38 रायपुर
दिनांक 05.07.2007

XXXXXX

राज्य शासन के संदर्भित आदेशानुसार प्रदेश के निम्नांकित शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय शैक्षणिक सत्र 2007 - 08 से प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है। उक्त पदों व विषयों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	महाविद्यालय का नाम	संकाय	विषय	कुल पद	वेतनमान
			स्नातकोत्तर	प्राध्या.	
1	2	3	4	5	6
1	शास. महा., अम्बागढ़ चौकी	कला	अर्थशास्त्र	1	12000-18300
2	शास. महा., डभरा	कला	राजनीति	1	12000-18300
3	शास. महा., सरायपाली	कला	हिन्दी	1	12000-18300
			भूगोल	1	12000-18300
4	शास. महा., भिलाई - 3	कला	राजनीति	1	12000-18300
5	शास. दन्तेश्वरी महिला महा., जगदलपुर	कला	मानवविज्ञान	1	12000-18300
6	शास. दू.ब. महिला महा., रायपुर	विज्ञान	गणित	1	12000-18300
7	शास. महा., बालोद	विज्ञान	वनस्पति	1	12000-18300
8	शास. महा., अर्जुन्दा	कला	अर्थशास्त्र	1	12000-18300
9	शास. महा., पंडरिया	कला	हिन्दी	1	12000-18300

2. उपरोक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2007 - 08 में मांग संख्या - 44 - उच्च शिक्षा - 2202 - सामान्य शिक्षा (03) - वि.वि. और उच्च शिक्षा - 103 - सरकारी कॉलेज और संस्थाएँ - 0101 - राज्य आयोजना (सामान्य) - 798 - कला, विज्ञान, वाणिज्य महाविद्यालय आयोजना मद के अन्तर्गत विकलनीय होगा।


3. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 431/10863/वित्त/बजट - 3/2007, दिनांक 14.06.2007 द्वारा दी गई है।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

[Signature]
अपर संचालक (टी)

उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ.ग.)

20/02/07
11/02/07
[Handwritten notes]



छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक-एफ 5-29/2007/38

रायपुर, दिनांक: 5/7/2007

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
रायपुर।

विषय:- शासकीय महाविद्यालयों में विज्ञान संकाय/वाणिज्य संकाय/स्नातक एवं स्नातकोत्तर विषय खोले जाने/पद निर्माण स्वीकृति ।

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के 17 शासकीय महाविद्यालयों में (सूची संलग्न है) नवीन विषय/संकाय खोले जाने हेतु 48 पदों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	पद संख्या
01	प्राध्यापक	रु० 12000-18300	10
02	सहायक प्राध्यापक	रु० 8000-13500	19
03	प्रयोग शाला तकनीशियन	रु० 4000-6000	10
04	प्रयोग शाला परिचायक	रु० 2750-4400	09
			कुल 48 पद

उक्त व्यय मांग संख्या - 44, उच्च शिक्षा - 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा - 103 - सरकारी कालेज और संस्थाएं - 0101 - राज्य आयोजना (सामान्य) 798 - कला/विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय 01 वेतन भत्ते के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

यह सहमति वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 431/10863/वित्त/ब-3/2007 दिनांक 14/6/2007 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(स.पी.दाण्डे)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग

नवीन विषय / संकाय प्रारंभ करने वाले महाविद्यालयों की सूची

क्र०	महाविद्यालय का नाम	स्नातक	स्नाकोत्तर
1	शासकीय महाविद्यालय उभरा	-	राजनीति शास्त्र
2	शासकीय महाविद्यालय अंबागढ़ चौकी	गृह विज्ञान	अर्थशास्त्र
3	शासकीय महाविद्यालय चारामा	विज्ञान	-
4	शासकीय महाविद्यालय सरायपाली	-	हिन्दी, भूगोल
5	शासकीय दन्तेश्वरी महाविद्यालय जगदलपुर	-	मानव विज्ञान
6	शासकीय कन्या महाविद्यालय धमतरी	भूगोल	-
7	शासकीय महाविद्यालय भिलाई-3	-	राजनीति शास्त्र
8	शासकीय कन्या महाविद्यालय महासमुंद	गणित	-
9	शासकीय महाविद्यालय पत्थलगांव	विज्ञान	-
10	शासकीय महाविद्यालय आरंग	विज्ञान	-
11	शासकीय दू.ब. महिला महाविद्यालय रायपुर	-	गणित
12	शासकीय महाविद्यालय बालौद	-	वनस्पति शास्त्र
13	शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा	-	अर्थशास्त्र
14	शासकीय महाविद्यालय पंडरिया	-	हिन्दी
15	शासकीय महाविद्यालय नारायणपुर	गणित	-
16	शासकीय महाविद्यालय अभनपुर	गणित	-
17	शासकीय महाविद्यालय तिल्दा नेवरा	गणित	-


 (प्र. प्र. प्र. प्र. प्र.)
 अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय
शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 408 / 131 / आउशि / राज.स्था. / 2008

रायपुर, दिनांक 19-03-2008

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़,

विषय :- महाविद्यालय का संशोधित सेट-अप उपलब्ध कराने बाबत।

-0-

विषयांतर्गत लेख है कि शासन द्वारा शैक्षणिक पदों का युक्तियुक्तकरण एवं नये व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने तथा सेट-अप के स्वीकृति के पश्चात सृजित 24 नवीन महाविद्यालय एवं समय-समय पर आवश्यकतानुसार स्वीकृत पदों को सम्मिलित करते हुये आपके महाविद्यालय का संशोधित सेट-अप आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर भेजा जा रहा है।

उपरोक्त पदों की यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ.क्र. द्वारा दी गई है :-

1. यू.ओ.क्र. 537 / 1245 / वित्त विभाग / बजट-3 / 05 दिनांक 10.11.05 .
2. यू.ओ.क्र. 338 / 1078 / वित्त विभाग / बजट-3 / 05 दिनांक 25.06.05 .
3. यू.ओ.क्र. 438 / 1365 / वित्त विभाग / बजट-3 / 05 दिनांक 01.09.05 .
4. यू.ओ.क्र. 436 / 1366 / वित्त विभाग / बजट-3 / 05 दिनांक 01.09.05 .
5. यू.ओ.क्र. 385 / 2817 / वित्त विभाग / बजट-3 / 06 दिनांक 01.07.06 .
6. यू.ओ.क्र. 399 / 2552 / वित्त विभाग / बजट-3 / 06 दिनांक 07.07.06 .
7. यू.ओ.क्र. 388 / 2898 / वित्त विभाग / बजट-3 / 06 दिनांक 03.07.06 .
8. यू.ओ.क्र. 340 / 2558 / वित्त विभाग / बजट-3 / 06 दिनांक 06.06.06 .
9. यू.ओ.क्र. 431 / 4671 / वित्त विभाग / बजट-3 / 06 दिनांक 01.08.06 .
10. यू.ओ.क्र. 445 / 2896 / वित्त विभाग / बजट-3 / 06 दिनांक 18.08.06 .
11. यू.ओ.क्र. 367 / 2784 / वित्त विभाग / बजट-3 / 06 दिनांक 14.06.06 .
12. यू.ओ.क्र. 546 / 8127 / वित्त विभाग / बजट-3 / 06 दिनांक 06.08.06 .
13. यू.ओ.क्र. 564 / 8129 / वित्त विभाग / बजट-3 / 06 दिनांक 22.11.06 .
14. यू.ओ.क्र. 3005 / वित्त विभाग / बजट-3 / 06 दिनांक 03.07.06 .
15. यू.ओ.क्र. 594 / 14780 / वित्त विभाग / बजट-3 / 07 दिनांक 18.09.07 .

38 शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा, जिला दुर्ग(छ.ग.) ✓

मांगसंख्या-44-2202-03-(103)(798)- आयोजनेत्तर / आयोजना

क्र.	पद नाम	वेतनमान	स्वीकृत पद		रिमार्क
			स्थायी	अस्थायी	
1	प्राचार्य	12000-18300	1		
2	प्राध्या. वाणिज्य	12000-18300	-	1	
3	प्राध्या. राजनीति	12000-18300	1		
4	प्राध्या. समाजशास्त्र	12000-18300	1		
5	स.प्रा. भौतिकशास्त्र	8000-13500	-	1 /	
6	स.प्रा. वनस्पति	8000-13500	-	1 /	
7	स.प्रा. प्राणीशास्त्र	8000-13500	-	1 /	
8	स.प्रा. रसायन	8000-13500	-	1 /	
9	स.प्रा. गणित	8000-13500	-	1 /	
10	स.प्रा. हिन्दी	8000-13500	2 /		
11	स.प्रा. अंग्रेजी	8000-13500	1 /		
12	स.प्रा. राजनीतिशास्त्र	8000-13500	1 /		
13	स.प्रा. समाजशास्त्र	8000-13500	1 /		
14	स.प्रा. अर्थशास्त्र	8000-13500	1 /		
15	स.प्रा. वाणिज्य	8000-13500	2 /	1 /	
16	स.प्रा. गृहविज्ञान	8000-13500	1 /		
17	स.प्रा. भूगोल	8000-13500	1 /		
18	क्रीडा अधिकारी	8000-13500	1		
19	ग्रन्थपाल	8000-13500	1		
20	सहायक ग्रेड-2	4000-6000	1		
21	सहायक ग्रेड-3	3050-4590	2		
22	प्रयो. तकनीशियन	4000-6000	1	4	
23	प्रयो. परिचारक	2750-4400	1	4	
24	बुकलिफ्टर	2550-3200	1		
25	भृत्य	2550-3200	2		
26	चौकीदार	2550-3200	1		
27	स्वीपर	2550-3200	1		
योग :-			25	15	

[Signature]
अपर संचालक
उच्चशिक्षा संचालनालय,
रायपुर (छ.ग.)



छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक
प्रति,

/एफ 3-21/2011/38-1

रायपुर, दिनांक /02/2012

अपर संचालक,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
रायपुर (छ0ग0)।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2011-12 के मुख्य बजट में सम्मिलित महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर, पाठ्यक्रम/विषय प्रारंभ करने की अनुमति बाबत।

राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित 23 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर, पाठ्यक्रम/विषय प्रारंभ करने हेतु 110 पदों की सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

अनु. क्र०	महाविद्यालय का नाम	नवीन विषय/पाठ्यक्रम									
		स्नातक	स्वीकृत पद				स्नातकोत्तर	स्वीकृत पद			
			प्राध्यापक	सहा. प्राध्यापक	प्रयो. तकनी.	प्रयो. परिचा.		प्राध्यापक	सहा. प्राध्याप.	प्रयो. तकनी.	प्रयो. परिच.
1	शास० दतेश्वरी कन्या महावि. जगदलपुर	-	-	-	-	-	एम.एच.एस. सी.	1	1	1	2
2	शासकीय महाविद्यालय पंखाजूर	बी.एस.सी. विज्ञान संकाय बायो. एवं गणित गुप (गणित, भौतिक रसायन प्राणी वनस्पति) प्रत्येक विषय के लिए 1-1 सहा. प्राध्यापक	-	5	3	3	-	-	-	-	-
	शासकीय महाविद्यालय वाङ्गफनगर	बी.एस.सी. विज्ञान संकाय बायो. एवं गणित गुप (गणित, भौतिक रसायन प्राणी, वनस्पति) प्रत्येक विषय के लिए 1-1 सहा. प्रा.	-	5	3	3	-	-	-	-	-

स्वायम्भूव
10/2/12

निरंतर

//2//

नवीन विषय/पाठ्यक्रम


अनु. क.	महाविद्यालय का नाम	स्नातक	स्वीकृत पद				स्नातकोत्तर	स्वीकृत पद			
			प्राध्यापक	सहा. प्राध्यापक	प्रयो. तकनी.	प्रयो. परिचा.		प्राध्यापक	सहा. प्राध्याप.	प्रयो. तकनी.	प्रयो. परिच.
4	शास. वि०भू० दे०कन्या महावि. जशपुर	विज्ञान संकाय बायो, बी०एस० सी० गणित युप एवं कम्प्यूटर साईंस, गणित भौतिक, रसायन, प्राणी, वनस्पति प्रत्येक विषय के लिए 1-1 सहा. प्रा.	-	6	4	4	-	-	-	-	-
5	शासकीय कन्या महाविद्यालय अम्बिकापुर	-	-	-	-	-	एम०एच०एस. सी०फुड एवं न्यूट्रिशन	1	1	1	2

2/- उक्त व्यय मांग संख्या 41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-2202-सामान्य शिक्षा-(03) विश्वविद्यालयीन और उच्च शिक्षा-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना--(103)-सरकारी कॉलेज और संस्थाये--798-कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय आदिवासी क्षेत्र उपयोजना मद के अंतर्गत विकलनीय होगा।

6	शासकीय महावि. बिलासपुर	एल०एल०बी	-	1	-	-	-	-	-	-	-
7	शासकीय कला महाविद्यालय पिथौरा	वाणिज्य	-	2	-	-	-	-	-	-	-
8	शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा	भूगोल	-	1	1	1	-	-	-	-	-
9	शासकीय महाविद्यालय कुरुद	स्नातक स्तर पर सीट वृद्धि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	शासकीय महावि. खरौद	बी.एस.सी., विज्ञान, संकाय बायो एवं गणित युप, (गणित, भौतिक, रसायन प्राणी, वनस्पति) प्रत्येक विषय के लिए 1-1 सहा. प्रा०	-	5	3	3	-	-	-	-	-
11	शासकीय महावि. अमनपुर	वाणिज्य/ भूगोल, वाणिज्य -2 सहा प्रा. भूगोल-1 सहा. प्रा०	-	3	1	1	-	-	-	-	-
12	शासकीय महावि. सरगांव	अर्थशास्त्र	-	1	-	-	-	-	-	-	-
13	शासकीय कला एवं विज्ञान पी०जी० महावि. दुर्ग	समाजशास्त्र	-	1	-	-	-	-	-	-	-
14	शासकीय महावि. गडई	बी.एस.सी. विज्ञान संकाय गणित युप, (गणित, भौतिक, रसायन)	-	3	2	2	-	-	-	-	-
15	शासकीय महावि. पथरिया	बी०काम	-	2	-	-	-	-	-	-	-

निरंतर

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर



रायपुर, दिनांक 03/08/2018

कमांक एफ 3-4/2018/38-1

प्रति
श्री. श्री. रायपुर
06/08/18

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नया रायपुर।

विषय :- प्रदेश के 35 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन संकाय/विषय/पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति बाबत।
संदर्भ :- आपकी टीप पं. कमांक 19/आउशि/योजना/नवीन/विषय/2018-19 दिनांक 31/05/2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित टीप के परिपेक्ष्य में 35 शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में सत्र 2018-19 में नवीन विषय/पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति दी जाती है जो निम्नानुसार है :-

मांग संख्या-44-राज्य आयोजना सामान्य

महाविद्यालयों की संख्या-24

क्र.	महाविद्यालय का नाम	स्वीकृत पाठ्यक्रम / विषय / सीट संख्या			नवीन	सृजित
		पाठ्यक्रम	विषय	सीट	पद	प्राध्यापक
1	2	3	4	5	6	
1	शासकीय नागार्जुन पी.जी. विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर जिला-रायपुर	एम.एस.सी.	माइक्रोबायोलॉजी	30		1
		एम.एस.सी.	सूचना प्रौद्योगिकी	30		1
2	शासकीय दू.ब. महिला महाविद्यालय रायपुर जिला रायपुर	एम.ए.	लोक प्रशासन	25		1
		पीजी इन वूमन स्टडीज	जेण्डर इशू (वूमन स्टीज सेंटर के अन्तर्गत)	30		
		पीजी डिप्लोमा इन साइकोलाजीकन गार्डिडेंस एवं काउंसिलिंग	काउंसिलिंग एवं गार्डिडेंस (साइकोलोजीकन विभाग के अन्तर्गत)	30		

3	शासकीय डी.के. पी. जी. महाविद्यालय बलौदाबाजार	एम.एस.सी	वनस्पतिशास्त्र	30	1
		एम.एस.सी	सूचना प्रौद्योगिकी	30	1
4	शासकीय महाविद्यालय कसडोल	एम.एस.सी	प्राणीशास्त्र	25	1
		एम.एस.सी	रसायनशास्त्र	25	1
5	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय गरियाबन्द	एम.ए.	समाजशास्त्र	30	1
		एम.कॉम	वाणिज्य	30	1
6	शासकीय महाविद्यालय बागबाहरा	एम.ए.	अर्थशास्त्र	30	1
		एम.एस.सी	रसायनशास्त्र	25	1
7	शासकीय महाविद्यालय सरायपाली	एम.एस.सी	रसायनशास्त्र	30	1
8	शासकीय बी.सी. एस. पी.जी. महाविद्यालय धमतरी	एम.एस.सी	प्राणीशास्त्र	30	1
		एम.एस.सी	भौतिकशास्त्र	30	1
		एम.एस.सी	सूचना प्रौद्योगिकी	30	1
9	शासकीय सुखराम नागे महाविद्यालय नगरी	एम.ए.	राजनीतिशास्त्र	30	1
		एम.ए.	समाजशास्त्र	30	1
10	शासकीय नवीन महाविद्यालय खुर्सीपार	एम.एस.सी	रसायनशास्त्र	30	1
		एम.ए.	अर्थशास्त्र	30	1
		एम.ए.	हिन्दी	30	1
11	शासकीय महाविद्यालय बोरी	एम.ए.	समाजशास्त्र	30	1
12	शासकीय महाविद्यालय अजुन्दा	एम.एस.सी	गणित	25	1
13	शासकीय नवीन महाविद्यालय बेरला	एम.एस.सी	भौतिकशास्त्र	30	1
		एम.ए.	हिन्दी	30	1




Office of the Principal
Govt. College Arjunda, Balod (C.G)

website : www.gcarjunda.com NAAC grade B E-mail: govtcollege.arjunda1988@gmail.com

2.4.1. List of full time teachers appointed along with their departmental affiliation in the year 2016-17

Name of full time teacher	Designation	Name of the Department
Dr. Santosh Sharma	Principal	Commerce
Mr. N.P. Devedi	Assistant Professor	Sociology
Smt. Rashmi Singh	Assistant Professor	Home Science
Mr. Rajneesh Kant Tiwari	Assistant Professor	English
Smt. B. Ekka	Assistant Professor	Economics
Mr. Ghanshyam Prasad Pathak	Assistant Professor	Geography
Ms. Poonam Singh	Assistant Professor	Hindi
Dr. Aruna Sao	Assistant Professor	Chemistry
Dr. Samir Dashputre	Assistant Professor	Mathematics
Dr. Shreshtha Shukla	Assistant Professor	Sociology
Miss Nutan Sahu	Assistant Professor	Botany
Miss Lalita Sahu	Assistant Professor	Zoology
Mr. Jeet	Assistant Professor	Physics
Dr. Kusum Dewangan	Assistant Professor	Commerce
Miss Diviya Sahu	Assistant Professor	Commerce




प्र. प्राचार्य
शास. महाविद्यालय, अर्जुन्दा
जिला-बालोद (छ.ग.)

Mrs Sarita Mishra	Assistant Professor	Hindi
Miss Pooja Singh	Assistant Professor	Political Science
Miss Mamta Dewangan	Assistant Professor	Economics
Miss Bharti Soni	Assistant Professor	Political Science
Miss Annu Singh	Assistant Professor	Commerce



(Handwritten signature)

प्र. प्राचार्य

शास. महाविद्यालय, अर्जुना
जिला-बालोद (उ.प्र.)



Office of the Principal
Govt. College Arjunda, Balod (C.G)

website : www.gcarjunda.com NAAC grade B E-mail: govtcollege.arjunda1988@gmail.com

2.4.1. List of full time teachers appointed along with their departmental affiliation in the year 2017-18

Name of full time teacher	Designation	Name of the Department
Mr. N.P. Devedi	Assistant Professor	Sociology
Smt. Rashmi Singh	Assistant Professor	Home Science
Mr. Rajneesh Kant Tiwari	Assistant Professor	English
Smt. B. Ekka	Assistant Professor	Economics
Dr. Alka R Deo	Assistant Professor	Political Science
Mr. Ghanshyam Prasad Pathak	Assistant Professor	Geography
Ms. Poonam Singh	Assistant Professor	Hindi
Dr. Aruna Sao	Assistant Professor	Chemistry
Dr. Samir Dashputre	Assistant Professor	Mathematics
Mr. Ayushman Mishra	Assistant Professor	Geography
Mr. Anupam Tirki	Assistant Professor	Hindi
Mr. Mohit Sao	Assistant Professor	Commerce
Dr. S.C. Mishra	Assistant Professor	Sociology
Mr. Amit Kumar	Assistant Professor	Zoology
Mr. Aditiya Vaishnav	Assistant Professor	Botany
Mr. Vikas Gedam	Assistant Professor	Physics
Dr. Kusum Dewangan	Assistant Professor	Commerce
Miss Diviya Sahu	Assistant Professor	Commerce
Dr. Sherstha Shukla	Assistant Professor	Sociology
Mr. Lukesh Chandrakar	Assistant Professor	Hindi
Mr. Dharmendra Kumar	Assistant Professor	Economics
Mr. Manoj Kumar Sahu	Assistant Professor	Political Science



प्र. प्राचार्य

शास. महाविद्यालय, अर्जुन्दा
जिला-बालोद (छ.ग.)




Office of the Principal
Govt. College Arjunda, Balod (C.G)

website : www.gcarjunda.com NAAC grade B E-mail: govtcollege.arjunda1988@gmail.com

2.4.1. List of full time teachers appointed along with their departmental affiliation in the year 2018-19

Name of full time teacher	Designation	Name of the Department
Mr. N.P. Devedi	Assistant Professor	Sociology
Smt. Rashmi Singh	Assistant Professor	Home Science
Mr. Rajneesh Kant Tiwari	Assistant Professor	English
Smt. B. Ekka	Assistant Professor	Economics
Dr. Alka R Deo	Assistant Professor	Political Science
Mr. Ghanshyam Prasad Pathak	Assistant Professor	Geography
Ms. Poonam Singh	Assistant Professor	Hindi
Dr. Aruna Sao	Assistant Professor	Chemistry
Dr. Samir Dashputre	Assistant Professor	Mathematics
Mr. Ayushman Mishra	Assistant Professor	Geography
Mr. Anupam Sumeet Tirki	Assistant Professor	Hindi
Mr. Mohit Sao	Assistant Professor	Commerce
Dr. S.C. Mishra	Assistant Professor	Sociology
Mr. Amit Kumar	Assistant Professor	Zoology
Mr. Aditiya Vaishnav	Assistant Professor	Botany
Mrs. Deepika Chandrakar	Assistant Professor	Physics
Dr. Kusum Dewangan	Assistant Professor	Commerce
Miss Diviya Sahu	Assistant Professor	Commerce
Dr. Sherstha Shukla	Assistant Professor	Sociology
Mr. Lukesh Chandrakar	Assistant Professor	Hindi
Mr. Dharmendra Kumar	Assistant Professor	Economics
Mr. Manoj Kumar Sahu	Assistant Professor	Political Science
Mr. Devendra Sahu	Assistant Professor	Mathematics
Mrs. Kalpana Deshmkuh	Assistant Professor	Mathematics




प्र. प्राचार्य
शारा. महाविद्यालय, अर्जुन्दा
जिला-बालोद (छ.ग.)




Office of the Principal
Govt. College Arjunda, Balod (C.G)

website : www.gcarjunda.com NAAC grade B E-mail: govtcollege.arjunda1988@gmail.com

2.4.1. List of full time teachers appointed along with their departmental affiliation in the year 2019-20.

Name of full time teacher	Designation	Name of the Department
Mr. N.P. Devedi	Assistant Professor	Sociology
Smt. Rashmi Singh	Assistant Professor	Home Science
Mr. Rajneesh Kant Tiwari	Assistant Professor	English
Smt. B. Ekka	Assistant Professor	Economics
Dr. Alka R Deo	Assistant Professor	Political Science
Mr. Ghanshyam Prasad Pathak	Assistant Professor	Geography
Ms. Poonam Singh	Assistant Professor	Hindi
Dr. Aruna Sao	Assistant Professor	Chemistry
Dr. Samir Dashputre	Assistant Professor	Mathematics
Mr. Ayushman Mishra	Assistant Professor	Geography
Mr. Mohit Sao	Assistant Professor	Commerce
Dr. S.C. Mishra	Assistant Professor	Sociology
Mr. Amit Kumar	Assistant Professor	Zoology
Mr. Aditiya Vaishnav	Assistant Professor	Botany
Mr. Pradeep Sahu	Assistant Professor	Physics
Dr. Kusum Dewangan	Assistant Professor	Commerce
Miss Diviya Sahu	Assistant Professor	Commerce
Mr. Lukesh Chandrakar	Assistant Professor	Hindi
Mr. Dharmendra Kumar	Assistant Professor	Economics
Mr. Manoj Kumar Sahu	Assistant Professor	Political Science
Mrs. Kalpana Deshmkuh	Assistant Professor	Mathematics
Dr. Laxaman Mahilkar	Assistant Professor	Sociology
Dr. Rajkumari Gajpal	Assistant Professor	Sociology




प्र. प्राचार्य
शास. महाविद्यालय, अर्जुन्दा
बालोद-बालोद (उ.ग.)

Office of the Principal
Govt. College Arjunda, Balod (C.G)


website : www.gcarjunda.com NAAC grade B E-mail: govtcollege.arjunda1988@gmail.com



2.4.1. List of full time teachers appointed along with their departmental affiliation in the year 2020-21

Name of full time teacher	Designation	Name of the Department
Smt. Rashmi Singh	Assistant Professor	Home Science
Mr. Rajneesh Kant Tiwari	Assistant Professor	English
Smt. B. Ekka	Assistant Professor	Economics
Dr. Alka R Deo	Assistant Professor	Political Science
Mr. Ghanshyam Prasad Pathak	Assistant Professor	Geography
Ms. Poonam Singh	Assistant Professor	Hindi
Dr. Aruna Sao	Assistant Professor	Chemistry
Dr. Samir Dashputre	Assistant Professor	Mathematics
Mr. Ayushman Mishra	Assistant Professor	Geography
Mr. Mohit Sao	Assistant Professor	Commerce
Mr. Amit Kumar	Assistant Professor	Zoology
Mr. Aditiya Vaishnav	Assistant Professor	Botany
Mr. Pradeep Sahu	Assistant Professor	Physics
Dr. Kusum Dewangan	Assistant Professor	Commerce
Miss Diviya Sahu	Assistant Professor	Commerce
Mr. Lukesh Chandrakar	Assistant Professor	Hindi
Mr. Dharmendra Kumar	Assistant Professor	Economics
Mr. Manoj Kumar Sahu	Assistant Professor	Political Science
Mrs. Kalpana Deshmkuh	Assistant Professor	Mathematics
Dr. Laxaman Mahilkar	Assistant Professor	Sociology
Dr. Rajkumari Gajpal	Assistant Professor	Sociology




 प्र. प्राचार्य
 शास. महाविद्यालय, अर्जुन्दा
 जिला-बालोद (उ.ग.)

जति

प्रचार्य
शासकीय महा० अर्जुन्वा
जिला - डुर्गा (म.प्र.)

विषय - कार्य भार ग्रहण करने का वक्त

गवर्दिया,

विषयगत अक्टूबर 96 में सहा० प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) हेतु
नं० 50 लोक सेवा आयोग द्वारा क्रियोजित साक्षात्कार
परीक्षा परीक्षा स्वल्प नं० 50 शासन उच्च शिक्षा विभाग
मेजबान वल्लभ भवन गोपाल के आदेश क्र० एड/1/128
/96/ए-1/38 नं० 50 गोपाल दिनांक 5 नवम्बर 96
के द्वारा जारी विमुक्ति सहा० प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) के
लिए शा० महा० अर्जुन्वा, डुर्गा (म.प्र.) में हुआ है।
नोट: उपरोक्त आदेश के तारबन्ध
में आज दिनांक 16/11/96 को पूर्वाह्न कार्य 40
उपस्थित हो रही हैं।

सादर सूचनार्थ क्रमोपेत

दिनांक
16/11/96

Signature
Mishra
18/11/96

seems
Signature

गवर्दिया
दिनांक 16/11/96
श्रीमति वसन्ती रमका
सहा० प्राध्यापक (अर्थशास्त्र)
शा० महा० अर्जुन्वा
जिला - डुर्गा (म.प्र.)

कार्यालय प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ0ग0)

E-mail:govtcollege.arijunda1988@gmail.com

क्रमांक 309 / स्था. / 2012
प्रति,

अर्जुन्दा, दिनांक 27-11-12

उपसचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग
नया रायपुर, (छ0ग0)

विषय:-अरुणा साव के सहायक प्राध्यापक रसायनशास्त्र के पद पर पदभार ग्रहण करने संबंधी सूचना ।

उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक 3959/3261/2012/38-1 दिनांक 12.11.2012 के परिपालन में अरुणा साव ने सहायक प्राध्यापक रसायन शास्त्र के पद पर आज दिनांक 27/11/2012 को पूर्वान्ह को कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

(डॉ. ए.के. भण्डारी)

प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा
अर्जुन्दा, दिनांक

पृ0 क्रमांक 310 / स्था. / 2012
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर ।
2. लोक सेवा आयोग रायपुर ।
3. महालखाकार, छत्तीसगढ़ ।
4. कलेक्टर, जिला कार्यालय बालोद ।
5. कोषालय अधिकारी, जिलाकोषालय बालोद ।
6. संबंधित अधिकारी ।
7. स्थापना/लेखा शा.महाविद्यालय अर्जुन्दा ।
8. व्यक्तिगत नस्ती ।

(डॉ. ए.के. भण्डारी)

प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा

dc

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
नया रायपुर

पंजीकृत डाक से.

-- 0 --

:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 12/11/2012

क्रमांक 3959 / 3261/2012/38-1 :: राज्य शासन एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 2696/95/2010/14/चयन, दिनांक 04/09/2012 द्वारा सहायक प्राध्यापक (रसायन शास्त्र) के पद हेतु जारी चयन सूची की "मुख्य सूची" में चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (रसायन शास्त्र) के पद पर वेतन बैंड 15600-39100 + ग्रेड वेतन 6000 में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है:-

अनु.क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	4	5
1	संजय कुमार जैन द्वारा सिद्धांत मेडिकल स्टोर बस स्टैंड, जशपुरनगर छत्तीसगढ़ पिन कोड-496331	शासकीय एन.ई.एस. स्नातकोत्तर महावि. जशपुरनगर, जिला-जशपुर	अनारक्षित
2	डॉ. विकास कुमार जैन सी-170, टैगोर नगर व्यापम के पूर्व कार्यालय के बाजू, रायपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड-492001	शासकीय पं०श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसीवा, जिला-रायपुर।	अनारक्षित
3	आशीष तिवारी, द्वारा प्रो.ए.के.तिवारी, तिवारी चाल, वेयर हाऊस के पास, राजेन्द्र नगर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, पिन कोड-495001	शासकीय लाहिड़ी महाविद्यालय, चिरमिरी, जिला-कोरिया	अनारक्षित
4	डॉ. दीपक सिन्हा एन-3, ग्रीन लैंड, विशाल नगर, तेलीबांधा, रायपुर (छ.ग.)	शासकीय भानुप्रतापदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांकेर, जिला-कांकेर	अनारक्षित
5	टेकचन्द अग्रवाल द्वारा श्री फत्तेचन्द अग्रवाल, मु.पो.बरमकेला जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़, पिन कोड-496551	शासकीय लोचन प्रसाद पाण्डेय महाविद्यालय, सारंगढ़, जिला-रायगढ़	अनारक्षित
6	सुरेन्द्र कुमार सिन्हा वार्ड क्र. 04, डौण्डी लोहारा, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ पिन कोड-491771	शासकीय अरविन्द महाविद्यालय, किरन्दुल, जिला-दंतेवाड़ा	अनारक्षित
7	संतोष कुमार चैनी द्वारा श्री बी.आर.चैनी, बाराखोली के पास, रामभाठा, रायगढ़, छत्तीसगढ़, पिन कोड-496001	शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया	अनारक्षित

निरतर2

(Handwritten Signature)

8	श्रीमती मीना चक्रवर्ती प्लॉट नंबर 45/6, बलियापुरम के सामने, हनुमान मंदिर के पास, हनुमान नगर, तितुरडीह, दुर्ग छत्तीसगढ़ पिन कोड-491001	शासकीय एन.सी. जैन महाविद्यालय, दल्लीराजहरा, जिला-बालोद	अनारक्षित महिला
9	हेमलता साहू द्वारा श्री बी.आर.साहू, 54/184, स्कूल के पीछे कॉलेज वार्ड डंगनिया, रायपुर, छ0ग0 पिन कोड-492013	शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय, राजिम, जिला-गरियाबंद	अनारक्षित महिला
10	विद्याभूषण मिश्रा द्वारा मो. इकबाल हुसैन इंडियन स्वीट एण्ड जूस सेन्टर, कलेक्ट्रेट रोड, सीवा, (म.प्र.), पिन कोड-486001	शासकीय दाऊ कल्याण सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदाबाजार, जिला-बलौदा बाजार।	अनारक्षित
11	डॉ. (श्रीमती) दिव्य ठाकुर द्वारा श्री एस.के. पनिककर, ईदगाह चौक, हनी लाईन बिलासपुर, छत्तीसगढ़, पिन कोड-495001	शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय, मस्तुरी, जिला-बिलासपुर।	अनारक्षित महिला
12	सरोज शर्मा द्वारा श्री एन.पी. शर्मा, बाजार चौक, भिलाई - 3 दुर्ग, छत्तीसगढ़, पिन कोड-490021	शासकीय कमलादेवी कन्या महाविद्यालय, राजनादगांव, जिला-राजनादगांव	अनारक्षित महिला
13	रोहित कुमार बरगाह द्वारा डॉ. एन.के. सिंह, एमआईजी डी-21, पारिजात एक्सटेंशन, नेहरुनगर, बिलासपुर, छ0ग0, पि.-495001	शासकीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय, सीतापुर, जिला-सरगुजा	अनारक्षित
14	पंकज सोनी एफ-पॉकेट, 8-ए, मरोदा सेक्टर, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़	शासकीय दानवीर तुलाराम महाविद्यालय उत्तई, जिला-दुर्ग।	अनारक्षित
15	हरिशंकर देवांगन द्वारा श्री अमरनाथ देवांगन, पुरानी बस्ती गांधी भवन के पास अकलतरा, जिला-जाजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ पिन कोड-495552	शासकीय रानी दुर्गावती महाविद्यालय, वाडफनगर, जिला-बलरामपुर	अनारक्षित
16	श्रीमती प्रियंका तिवारी द्वारा श्री गुंजन तिवारी, फ्लैट नं. 554, जीएच-13, पश्चिम दिहार, नई दिल्ली, पिन कोड-110087	शासकीय महाविद्यालय, तमनार, जिला-रायगढ़	अनारक्षित महिला
17	सुरेश कुमार पटेल द्वारा चन्द्र प्रकाश यादव, 12/121-इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	शासकीय महाविद्यालय, आरा, जिला-जशपुर नगर	अनारक्षित
18	अरुणा साहू एचआईजी-1/150, बोरसी कालोनी (ओल्ड) जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़, पिन कोड-491001	शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद	अनारक्षित महिला
19	डॉ. (श्रीमती) रीता बाजपेयी, द्वारा प्रो. शरद चंद्र बाजपेयी "शिवा" बाजपेयी निवास, सरजू बगीचा आजाद नगर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, पि0 495001	शासकीय डॉ. ज्वाला प्रसाद सिंह महाविद्यालय, मुंगेली, जिला-मुंगेली	अनारक्षित महिला
20	श्रीमती मधुरानी शुक्ला द्वारा श्री प्रदीप शुक्ला, ग्राम-तरी, पोस्ट-पट्टेवा, तह- अभनपुर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़, पि. कोड-493885	शासकीय नवीन महाविद्यालय, गोबरा नवापारा, जिला-रायपुर	अनारक्षित महिला

निरंतर3

(Signature) 12/11/12

12. इस आदेश में टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ0ग0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।
2/- प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आंरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(एस0के0चौधरी)
उपसचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग
नया रायपुर, दिनांक 12/11/2012

पृ. क्र. 3960 /3940/2012/38-1 ::
प्रतिलिपि :-

- (1) राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
- (2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर।
- (3) मुख्य सचिव के अवर सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर।
- (4) विशेष सहायक, मान.मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
- (5) महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
- (6) कलेक्टर, जिला-..... (छ.ग.)।

की ओर कृपया सूचनार्थ अग्रोषित।

- (7) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 2696/95/2010/14/चयन, दिनांक 04/09/2012 के संदर्भ में सूचनार्थ।
 - (8) आयुक्त, उच्च शिक्षा, शासकीय नार्गार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर छ.ग.।
 - (9) संचालक, जनसम्पर्क, रायपुर छ0ग0 की ओर अग्रोषित कर आदेशानुसार सूचित है कि इसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
 - (10) क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा बिलासपुर/जगदलपुर/आंबेकापुर।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रोषित।

- (11) संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय.....की ओर अग्रोषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित के पहचान पत्र, सभी प्रमाण पत्रों/अनापत्ति आदि की मूल प्रति का परीक्षण कर स्वयं के सत्यापन एवं आदेश की कंडिका-2 के अनुसार शपथपत्र प्राप्त करने के उपरांत अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावें।

- (12) संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, जिला-.....।
 - (13) संबंधित रायपुर.....।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रोषित।
- (14) आदेश फोल्डर।

(एस0के0चौधरी)
उपसचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर



-- 0 --
:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 28/03/2016

क्रमांक/1720/3342/2012/38-1 :: राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 2165/95/2010/13/चयन दिनांक 06.02.2016 द्वारा प्रेषित सहायक प्राध्यापक (गणित) के पद हेतु अनुपूरक/प्रतीक्षा सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (गणित) के पद पर वेतन बैंड रूपये 15600-39100 + ग्रेड वेतन रूपये 6000/- में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परिवीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :-

क्र.	अनुपूरक सूची स. क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	01	श्री जयेश वि.करंजगाँवकर, मकान नं. सी-04 "श्रीविभा" गायत्री विहार, सहयोग पार्क, न्यू पुरैना, रिंग रोड-1 पो. रविग्राम, रायपुर (छ.ग.)492006	शासकीय सुखराम नागे महाविद्यालय, नगरी, सिहावा, जिला-धमतरी (छ.ग.)	अनारक्षित
2	02	डॉ समीर दशपुत्रे, C/O श्री आर.एन. पवार, सड़क नं. 19, प्लाट नं. 212-सी स्मृति नगर, जुनवानी भिलाई, दुर्ग (छ.ग.) 490020	शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ.ग.)	अनारक्षित

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

- यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।
- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। इस संबंध में शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
- नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिये जायेंगे।
- आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियुक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियुक्ता द्वारा सेवाएँ समाप्त कइ दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के

.....2


(Signature)

अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा।

6. शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे-मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत) पहचान प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।
8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन) भर्ती, नियम, 1990 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अध्याधीन रहेंगे।
9. नियुक्त अभ्यर्थियों को छ0ग0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।
10. यह नियुक्ति पूर्णतः अनंतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।
11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 01 माह की समयावधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
12. इस आदेश में कोई टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ0ग0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।

2/ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार, -


(श्रीमती दुर्गा देवांगन)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

नया रायपुर, दिनांक 28/03/2016

पृ.क्र. 1721 / 3342 / 2012 / 38-1
प्रतिलिपि :-

- (1) राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
- (2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (3) विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (4) मुख्य सचिव के उप सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (5) महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।

कार्यालय प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ.ग.)

क्रमांक/स्था./2016

अर्जुन्दा,दिनांक 30 /03/2016

प्रति,

अवर सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय,
महानदी भवन,नया रायपुर(छ0ग0)

विषय :- डॉ0 समीर दशपुत्रे,सहायक प्राध्यापक,गणित के पद पर कार्यभार ग्रहण की सूचना बाबत ।
संदर्भ :-आपका नियुक्ति आदेश क्र0 1720/3342/2012/38-1,नया रायपुर,दिनांक 28,03,2016

विषयांतर्गत संदर्भित आदेश के परिपालन में राज्य शासन,एतद् द्वारा छत्तीसगढ लोक सेवा आयोग के पत्र क्र0 2165/95/2010/13/चयन दिनांक 06.02.2016 के तहत डॉ0 समीर दशपुत्रे,द्वारा सहायक प्राध्यापक गणित के पद पर वेतन बैंड रुपये 15600-39100+ग्रेड वेतन 6000/-पर आज दिनांक 30.03.2016(पूर्वाह) में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है ।

अतः सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

Sd/-
(डॉ0 संतोष कुमार शर्मा)
प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय,अर्जुन्दा
जिला-बालोद(छ0ग0)

पृ0 क्रमांक 847/स्था./2016

अर्जुन्दा,दिनांक 30 /03/2016

- प्रतिलिपि :-1-राज्यपाल के प्रमुख सचिव,राजभवन,रायपुर ।
2-प्रमुख सचिव,माननीय मुख्यमंत्री जी,छ0ग0शासन,मंत्रालय,रायपुर ।
3-विशेष सहायक माननीय मंत्री जी,उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय,नया रायपुर ।
4-मुख्य सचिव के उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय,नया रायपुर ।
5-महालेखाकार, छ0ग0,रायपुर ।
6-निज सहायक,छ0ग0शासन,उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय,नया रायपुर ।
7-आयुक्त,उच्च शिक्षा संचालनालय,इन्द्रावती भवन,नया रायपुर(छ0ग0)
8-क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय,इन्द्रावती भवन,नया रायपुर(छ0ग0)
9-कलेक्टर,बालोद (छ 0ग0)
10-सचिव,छत्तीसगढ लोक सेवा आयोग,रायपुर की ओर उनके पत्र क्र.2165/95/चयन/13 दिनांक 06.02.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ
11-जिला कोषालय अधिकारी,जिला-बालोद(छ0ग0)
12-प्राचार्य,अग्रणी,शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय,बालोद (छ0ग0)
13-डॉ0 समीर दशपुत्रे,सहायक प्राध्यापक,गणित,शासकीय महाविद्यालय,अर्जुन्दा,जिला-बालोद(छ0ग0)
14- ~~सहायक प्राध्यापक,गणित~~
15- ~~सहायक प्राध्यापक,गणित~~

Attended
Susham
PRINCIPAL
Govt. College, Arjunda
Distt. BALOD (C.G.)

Susham
(डॉ0 संतोष कुमार शर्मा)
प्राचार्य
PRINCIPAL
Govt. College, Arjunda
Distt. BALOD (C.G.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

- - 0 - -

:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 29/08/2017

क्रमांक एफ 1-32/2017/38-1 :: राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 1038/22/चयन/17/N दिनांक 31.7.2017 द्वारा प्रेषित सहायक प्राध्यापक (भूगोल) के पद हेतु मुख्य सूची से अनुशंसित अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (भूगोल) के पद पर वेतन बैंड रूपये 15600-39100 + ग्रेड वेतन रूपये 6000/- में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परिवीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	3	4
1	श्री उसत राम पटेल आ.श्री धनीराम पटेल, ग्राम कादूल पाली, पो.सालर,तह.सारंगढ़ जिला -रायगढ़ छ.ग. 496445	शासकीय लोचन प्रसाद पाण्डेय महाविद्यालय, सारंगढ़	OBC /UR
2	श्री आयुषमान मिश्रा आ.श्री कमल कांत मिश्रा, रविन्द्रनाथ टौगोर नगर,ग्रीन गार्डन के बाजू में मुगेली रोड विलासपुर छ.ग.493001	शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा	UR
3	श्री अम्बिकेश स्वर्णकार आ.श्री. प्रदीप कुमार सोनी,महावीर मंदिर गली डिंसी रोड अंबिकापुर जिला सरगुजा छ.ग. 497001	शासकीय महाविद्यालय, दुलदुला	OBC /UR
4	श्री देवेन्द्रधर द्विवेदी आ.श्री.रमाशंकर द्विवेदी, शा. उ.मा.वि.आनंदगांव (व्या. पंचायत)बेरला जिला बेमेतरा छ.ग. 491332	शास.पं.जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय, बेमेतरा	UR
5	दीपीका स्वर्णकार आ.श्री.प्रदीप सोनी महावीर गली डिंसी रोड अंबिकापुर जिला सरगुजा छ.ग. 497001	शासकीय राजीवगांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर	OBC /UR-F
6	श्री सेवन कुमार भारती आ.श्री खेदे लाल भारती, एलआईजी 78 फेस 2 कबीर नगर रायपुर छ.ग.	शासकीय महाविद्यालय, प्रेमनगर	SC /UR
7	श्री राहुल कुमार आ. श्री मनीभूषण प्रसाद एटी गुरुकुल रोड बैरगनिया जिला-सीतामरही बिहार 843313	शासकीय महाविद्यालय, खडगवा जिला कोरिया	UR
8	श्री ओम प्रकाश जंघेल आ.श्री भानु प्रताप ग्राम कुटेला भाठा कोहका रोड ठाकुर पारा,थाना.पो. जेवरा सिरसा जिला दुर्ग छ.ग. 491001	शासकीय डॉ. मंवर सिंह पोर्ते महाविद्यालय, पेन्ड्रा	OBC /UR
9	श्री उमेश कुमार पाठक आ.स्व.श्री विश्राम प्रसाद पाठक, जमातपारा वार्ड 21 कवर्धा जिला-कबीरधाम छ.ग. 491995	शासकीय महाविद्यालय खेरथा, जिला बालोद	UR
10	प्रीति बाला जायसवाल आ.श्री गया प्रसाद जायसवाल, राजेन्द्र नगर गली नं.-8 सतना म.प्र. 485001	शासकीय स्व. चन्दूलाल चन्द्राकर महाविद्यालय, पाटन	UR-F
11	श्री संतोष कुमार पटेल आ.श्री बनमाली पटेल,ग्राम कुड़ेकेल, पो. सिरको,तह.बसना,जिला-महासमुंद छ.ग. 493554	शासकीय स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय, नारायणपुर	OBC /UR

5

M.

N-1

11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 01 माह की समयवधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।

12. इस आदेश में कोई टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ0ग0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।

2/ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(मुवनेश सादव)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

नया रायपुर, दिनांक 29/08/2017

पृ.क्र. एफ 1-32/2017/38-1

प्रतिलिपि :-

- (1) राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
- (2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (3) विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (4) मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (5) महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
- (6) स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (7) आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
- (8) कलेक्टर, जिला (छ.ग.)।
- (9) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 1038/22/चयन/17/N दिनांक 31.7.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।
- (10) आयुक्त, जनसम्पर्क, रायपुर छ.ग. की ओर अग्रेषित कर आदेशानुसार सूचित है कि इसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
- (11) अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
- (12) क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, बिलासपुर/अंबिकापुर/बस्तर/जगदलपुर(छ.ग.)।
- (13) संबंधित प्राचार्य, की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित के पहचान पत्र, सभी प्रमाण पत्रों/अनापत्ति आदि की मूल प्रति का परीक्षण कर स्वयं के सत्यापन एवं आदेश की कंडिका-2 के अनुसार शपथपत्र प्राप्त करने के उपरांत अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावें।
- (14) जिला कोषालय अधिकारी, जिला (छ.ग.)।
- (15) संबंधित सर्वश्री..... कृपया अपराधिक प्रकरण न होने संबंधी शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण पश्चात विभाग को उपलब्ध करावें।
- (16) आदेश फोल्डर।

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

- - - - -
:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 20/09/2017

क्रमांक एफ 1-30/2017/38-1 :: राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 1263/22/चयन/17/G दिनांक 31.8.2017 द्वारा प्रेषित सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) के पद हेतु मुख्य सूची से अनुशंसित अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) के पद पर वेतन बैंड रूपये 15600-39100 + ग्रेड वेतन रूपये 6000/- में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परिदीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	3	4
1	लाली शर्मा आ. श्री घनश्याम शर्मा, बगीचा के पीछे, सड़क नं. 4 शिक्षक नगर दुर्ग छ.ग. 491001	शासकीय कमलादेवी कन्या महाविद्यालय, राजनादगांव	UR-F
2	श्री आशीष कौशिक आ श्री नरेश कुमार कौशिक, उमेश किराना दुकान के पास, बिलासपुर रोड, लक्ष्मीपुर, अंबिकापुर जिला सरगुजा छ.ग. 497001	शासकीय नवीन महाविद्यालय, सिलफिली	UR
3	श्री गौरव शर्मा आ. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, c/o श्री बिसहत राम सिन्हा चोपड़ा पैलेस के पीछे जोन क. 03 सड़क नं. 07 न्यू आदर्श नगर दुर्ग छ.ग. 491001	शासकीय स्व. चन्दूलाल चन्द्राकर महाविद्यालय, पाटन	UR
4	श्री रोहन अग्रवाल आ. श्री राजेन्द्र अग्रवाल, आशियाना एच क. 335 रामदयाल शर्मा कालोनी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड भाटापारा जिला- बलौदाबाजार छ.ग. 4931118	शासकीय राजीव गांधी महाविद्यालय, सिमगा, जिला- बलौदाबाजार	UR
5	विनीता जडाला पति श्री जडाला शंकरा स्वामी, जेठानी स्टोर्स सदर बाजार चांपा, जिला- जांजगीर चांपा छ.ग. 495671	शासकीय महाविद्यालय, नवागढ़ जिला जांजगीर-चांपा	UR-F
6	श्री रेणु कुमार यादव आ. स्व. श्री बेदुराम यादव, भारतीयम मून लाईट स्कूल के पास गोरखा कालोनी के पीछे न्यू शांतिनगर रायपुर छ.ग. 492001	शासकीय स्व. सत्यनारायण अग्रवाल महाविद्यालय, तिल्दा-नेवरा कोहका	OBC /UR
7	श्री आशुतोष कौशिक आ. श्री नरेश कुमार कौशिक, उमेश किराना दुकान के पास बिलासपुर रोड, लक्ष्मीपुर, अंबिकापुर छ.ग. 497001	शासकीय राजीवगांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर	UR
8	श्री अनुज कुमार चौरसिया आ श्री राधेश्याम चौरसिया, (व्याख्याता) शास.आ.रा.उ.मा.वि. बैकुण्ठपुर, जिला - कोरिया छ.ग. 497335	शासकीय लाहिड़ी महाविद्यालय, चिरमिरी	OBC /UR
9	श्रीमती संध्या प्रसाद पति श्री वृजेश प्रसाद, क्वा. नं. ई/3 घरमपुरा नं. 3 जगदलपुर जिला बस्तर छ.ग. 494001	शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर	UR-F

.....2



E-1

55	श्री शिवराम सिंह श्याम आ. श्री छटऊसिंह श्याम, एलआईजी 1130 सेक्टर-7 हाउसिंग बोर्ड कालोनी सड्डू रायपुर छ.ग. 492007	शासकीय महाविद्यालय, पाण्डातराई जिला-कबीरधाम	ST
56	श्री समीर जायसवाल आ श्री डी.पी.जायसवाल, म. नं. 4ए सडक-72 सेक्टर-6 गिलाई नगर, जिला-दुर्ग छ.ग. 490006	शासकीय महाविद्यालय, बोरी, जिला-दुर्ग	OBC
57	मल्लिका वैश्य आ श्री ध्यानचंद वैश्य, वार्ड-13 रेल्वे फाटक के पास चर्च गली जे.के.डी.पोस्ट मनेन्द्रगढ़ जिला-कोरिया छ.ग. 497442	शासकीय महाविद्यालय, भैयाथान जिला-सूरजपुर	SC-F
58	श्री रमेश कुमार मोर्य आ.श्री मिठतूलाल मोर्य, रामगढ़ रोड ग्राम पो. थाना- उदयपुर, जिला सरगुजा छ.ग. 497117	शासकीय इंजीनियर विश्वेसरैया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोरवा	OBC
59	आदिती रानी भगत आ. श्री बिंदेश्वर राम भगत, अधीक्षिका, आदर्श पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, कालीबाड़ी रायपुर छ.ग. 492001	शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय धरसीवा	ST-F
60	श्रीमती रश्मि यादव पति श्री राजेश यादव, ओ.पी. जिंदल स्कूल हाउसिंग कॉलोनी क्वान.एफ-9 खरसिया रोड रायगढ़ छ.ग.496001	शासकीय किरोड़ीमल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायगढ़	OBC-F
61	श्री शरद कुमार देवांगन आ. श्री रामलाल देवांगन, जीन्स हाउस नागोराव शेष स्कूल के पास जूना बिलासपुर छ.ग. 495001	शास.भवर सिंह पोर्ते महा.पेण्ड्रा, जिला- बिलासपुर	OBC
62	श्रीमती राजेश्वरी सोनी पति श्री घनश्याम सोनी, बी. टी.आई.रोड महासमुंद छ.ग. 493445	शास.महा.प्रभू वल्लभाचार्य पी.जी. महा.महासमुंद	OBC-F
63	श्री संजय कुमार देवांगन आ. श्री फत्तुराम ग्राम डुडिया, पो. अर्जुन्दा तह.गुण्डरदेही, जिला-बालोद छ.ग. 491225	शास.दिग्वीजय पीजी महा. राजनांदगांव	OBC
64	श्री मोहन लाल वर्मा आ.श्री. गेंदराम वर्मा, 51/1221 मजार के पास.सुभाष नगर कुकरीपारा, महामाया मंदिर वार्ड, रायपुर छ.ग. 492001	शासकीय बाला साहेब देशपाण्डे महाविद्यालय, कुनकुरी, जिला- जशपुर	OBC
65	मीरा टंडन आ.श्री जी.पी.टंडन, नागदौने कॉलोनी, व्यापार विहार रोड, तालापारा बिलासपुर छ.ग. 495001	शासकीय महाविद्यालय, पामगढ़, जिला- जांजगीर-चांपा	SC
66	श्री जीवन राम सोरी आ श्री तुकाराम सोरी, ए-5 केपीटल सिटी फेस-1 विधानसभा रोड सड्डू रायपुर छ.ग. 492014	शासकीय ठाकुर शोभासिंह महाविद्यालय, पत्थलगांव, जिला- जशपुर	ST
67	श्री मोहित कुमार साव आ श्री प्रमोद कुमार साव एमआईजी- 2/12 मीनाक्षी नगर बोरसी रोड दुर्ग छ.ग. 491001	शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा, जिला- बालोद	OBC

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।
2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। इस संबंध में शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
3. नियुक्त अभ्यर्थी को जिला दिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

.....6

4. पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिये जायेंगे।
 5. आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियोक्ता द्वारा सेवाएँ समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियाँ अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा।
 6. शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे-मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत) पहचान प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।
 8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन) भर्ती, नियम, 1990 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अध्याधीन रहेंगे।
 9. नियुक्त अभ्यर्थियों को छ0ग0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।
 10. यह नियुक्ति पूर्णतः अनंतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।
 11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 01 माह की समयवधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
 12. इस आदेश में कोई टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ0ग0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।
- 2/ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार-

(दुर्गा देवांगन)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

कार्यालय प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ.ग.)

कमांक/राज.स्था./2017

अर्जुन्दा, दिनांक /09/2017

प्रति,

अवर सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन,
नया रायपुर (छ0ग0)

विषय :- नव नियुक्त, सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य श्री मोहित कुमार साव के कार्यभार ग्रहण की सूचना ।
सन्दर्भ :- आपका आदेश पृ0कमांक एफ 1-30/2017/38-1 नया रायपुर, दिनांक 20.09.2017

विषयांतर्गत संदर्भित आदेश के परिपालन में नव नियुक्त सहायक प्राध्यापक, श्री मोहित कुमार साव द्वारा पहचान पत्र एवं सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण पश्चात् वेतन बैंड रू0 15600-3900+ग्रेड वेतन रूपये 6000/- में आज दिनांक 22.09.2017 को (पूर्वान्ह) में इस महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया गया है । तत्संबंध में सादर सूचित करना है कि श्री मोहित कुमार साव द्वारा प्रस्तुत सपथ पत्र की कंडिका चार में उल्लेखित है कि मेरे विरुद्ध न्यायालय श्रीमान प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला दुर्ग में मेरे भाभी द्वारा घरेलू हिंसा का मामला लंबित है जो कि अनुप्रमाण प्रति में भी इसका विवरण दिया गया है जो सत्य एवं सही है ।

अतः उक्तसय के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देशन हेतु सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

संलग्न :- शपथ पत्र की फोटा प्रति ।

(नरेन्द्र प्रसाद द्विवेदी)

प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा,
जिला-बालोद (छ.ग.)

कमांक 357/राज.स्था./2017

अर्जुन्दा, दिनांक 22/09/2017


- प्रतिलिपि :-
1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
 2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ0ग0शासन, मंत्रालय, नया रायपुर ।
 3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, नया रायपुर ।
 4. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छ0ग0शासन मंत्रालय, नया रायपुर ।
 5. महालेखाकार, छ0ग0 रायपुर ।
 6. आयुक्त, उ0शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर छ0ग0 ।
 7. कलेक्टर, जिला-बालोद छ0ग0 ।
 8. सचिव छ0ग0 लोक सेवा आयोग, रायपुर छ0ग0 ।
 9. अपर संचालक, उ0शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर छ0ग0 ।
 10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला-बालोद छ0ग0 ।
 11. प्राचार्य, अग्रणी, शा0धनश्याम सिंह गुप्त स्नातको0 महाविद्यालय, बालोद छ0ग0 ।
 12. श्री मोहित कुमार साव, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा को सूचनार्थ ।
 13. स्थापना/लेखा, शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(नरेन्द्र प्रसाद द्विवेदी)

प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा,
जिला-बालोद (छ.ग.)

mit Saal)





कार्यालय प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ0ग0)



website : www.gcarjunda.com NAAC grade B E-mail: govtcollege.arjunda1988@gmail.com

क्र.223...../अतिथि व्या./2021
प्रति,

अर्जुन्दा, दिनांक 21/10/2021

विकास
सुभाष चौक, वार्ड नं. -10
न्यू बस स्टैण्ड, नवापारा, राजिम
रायपुर

विषय:- अतिथि व्याख्याता गणित हेतु आमंत्रण ।

----- 00 -----

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 3-32/2020/38-1 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 12.10.2021 एवं कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 724/126/आउशि/राज.स्था./2021 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 18.10.2021 के तारतम्य में अतिथि व्याख्याता गणित हेतु आपको आमंत्रित किया जाता है ।

1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200 रू. जो प्रतिदिन 800 रू. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा ।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे ।
3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और नही वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और नही वह अन्य किसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है ।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Perferential Treatment) के हकदार होंगे ।
5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य मुक्त किया जा सकेगा ।
6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2020-21 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा ।
7. दिनांक 23.10.2021 तक आमंत्रित व्याख्याता महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो यह स्वमेव प्रभावहीन माना जायेगा ।

DR
PRINCIPAL
शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा
Distt. Balod (C.G.)
अर्जुन्दा, दिनांक

पृ. क्र./अतिथि व्या./2021
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ0ग0) ।
2. जिलाधीश, कलेक्टर कार्यालय बालोद (छ0ग0)
3. प्राचार्य (अग्रणी), शासकीय घनश्यामसिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद (छ0ग0) ।
4. जिला कोषालय अधिकारी बालोद (छ0ग0)
5. लेखा शाखा/स्थापना शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ0ग0) ।

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा



कार्यालय प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ0ग0)



website : www.gcarjunda.com

NAAC grade B

E-mail: govtcollege.arjunda1988@gmail.com

क्र.291...../अतिथि व्या./2021
प्रति,

अर्जुन्दा, दिनांक ...21/10/2021

लक्ष्मीप्रसाद मिश्रा
ग्रा. मौलीखार
सरायपाली

विषय:- अतिथि व्याख्याता भौतिकी हेतु आमंत्रण ।

----- 00 -----

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 3-32/2020/38-1 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 12.10.2021 एवं कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 724/126/आउशि/राज.स्था./2021 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 18.10.2021 के तारतम्य में अतिथि व्याख्याता भौतिकी हेतु आपको आमंत्रित किया जाता है ।


1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200 रु. जो प्रतिदिन 800 रु. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा ।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे ।
3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और नही वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और नही वह अन्य किसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है ।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Perferential Treatment) के हकदार होंगे ।
5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य मुक्त किया जा सकेगा ।
6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2020-21 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा ।
7. दिनांक 23.10.2021 तक आमंत्रित व्याख्याता महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो यह स्वमेव प्रभावहीन माना जायेगा ।


PRINCIPAL
प्राचार्य
Govt. College, Arjunda
शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा
Distt. Balod (C.G.)

पृ. क्र.292...../अतिथि व्या./2021
प्रतिलिपि:-

अर्जुन्दा, दिनांक 21/10/2021

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ0ग0) ।
2. जिलाधीश, कलेक्टर कार्यालय बालोद (छ0ग0)
3. प्राचार्य (अग्रणी), शासकीय घनश्यामसिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद (छ0ग0) ।
4. जिला कोषालय अधिकारी बालोद (छ0ग0)
5. लेखा शाखा/स्थापना शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ0ग0) ।


PRINCIPAL
शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा
Distt. Balod (C.G.)



कार्यालय प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ०ग०)



website : www.gcarjunda.com NAAC grade B E-mail: govtcollege.arjunda1988@gmail.com

क्र.295...../अतिथि व्या./2021
प्रति,

अर्जुन्दा, दिनांक 21/10/2021

लक्ष्मण कुमार महिलकर
ग्रा. व पो. सिकोसा
गुण्डरदेही, बालोद

विषय:- अतिथि व्याख्याता समाजशास्त्र हेतु आमंत्रण ।

----- 00 -----

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 3-32/2020/38-1 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 12.10.2021 एवं कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 724/126/आउशि/राज.स्था./2021 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 18.10.2021 के तारतम्य में अतिथि व्याख्याता समाजशास्त्र हेतु आपको आमंत्रित किया जाता है ।

1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200 रु. जो प्रतिदिन 800 रु. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा ।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे ।
3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और नही वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और नही वह अन्य किसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है ।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Perferential Treatment) के हकदार होंगे ।
5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य मुक्त किया जा सकेगा ।
6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2020-21 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा ।
7. दिनांक 23.10.2021 तक आमंत्रित व्याख्याता महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो यह स्वमेव प्रभावहीन माना जायेगा ।

PRINCIPAL

शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा
Distt. Balod (C.G.)

पृ. क्र.296...../अतिथि व्या./2021
प्रतिलिपि:-

अर्जुन्दा, दिनांक 21/10/2021

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ०ग०) ।
2. जिलाधीश, कलेक्टर कार्यालय बालोद (छ०ग०)
3. प्राचार्य (अग्रणी), शासकीय घनश्यामसिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद (छ०ग०) ।
4. जिला कोषालय अधिकारी बालोद (छ०ग०)
5. लेखा शाखा/स्थापना शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ०ग०) ।

PRINCIPAL

शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा
Distt. Balod (C.G.)



कार्यालय प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ०ग०)



website : www.gcarijunda.com NAAC grade B E-mail: govtcollege.arjunda1988@gmail.com

क्र.292...../अतिथि व्या./2021
प्रति,

अर्जुन्दा, दिनांक 21/10/2021

मनोज कुमार साहू
ग्रा. व पो. इंदवानी
राजनांदगांव

विषय:- अतिथि व्याख्याता राजनीति विज्ञान हेतु आमंत्रण ।

----- 00 -----

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 3-32/2020/38-1 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 12.10.2021 एवं कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 724/126/आउशि/राज.स्था./2021 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 18.10.2021 के तारतम्य में अतिथि व्याख्याता राजनीति विज्ञान हेतु आपको आमंत्रित किया जाता है ।

1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200 रु. जो प्रतिदिन 800 रु. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा ।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे ।
3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और नही वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और नही वह अन्य किसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है ।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Perferential Treatment) के हकदार होंगे ।
5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य मुक्त किया जा सकेगा ।
6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2020-21 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा ।
7. दिनांक 23.10.2021 तक आमंत्रित व्याख्याता महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो यह स्वमेव प्रभावहीन माना जायेगा ।

DE
PRINCIPAL
प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा
Distt. Balod (C.G.)
अर्जुन्दा, दिनांक 21/10/2021

पृ. क्र.292...../अतिथि व्या./2021
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ०ग०) ।
2. जिलाधीश, कलेक्टर कार्यालय बालोद (छ०ग०)
3. प्राचार्य (अग्रणी), शासकीय घनश्यामसिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद (छ०ग०) ।
4. जिला कोषालय अधिकारी बालोद (छ०ग०)
5. लेखा शाखा/स्थापना शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ०ग०) ।

DE
PRINCIPAL
प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा
Distt. Balod (C.G.)



कार्यालय प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ0ग0)



website : www.gcarjunda.com NAAC grade B E-mail: govtcollege.arjunda1988@gmail.com

क्र.299...../अतिथि व्या./2021
प्रति,

अर्जुन्दा, दिनांक 21/10/2021

दिव्या साहू
मिनी एल. आई. जी. - 355
पदमनाभपुर, दुर्ग

विषय:- अतिथि व्याख्याता वाणिज्य हेतु आमंत्रण ।

----- 00 -----

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 3-32/2020/38-1 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 12.10.2021 एवं कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 724/126/आउशि/राज.स्था./2021 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 18.10.2021 के तारतम्य में अतिथि व्याख्याता वाणिज्य हेतु आपको आमंत्रित किया जाता है ।

1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200 रू. जो प्रतिदिन 800 रू. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा ।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे ।
3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और नहीं वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और नहीं वह अन्य किसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है ।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Perferential Treatment) के हकदार होंगे ।
5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य मुक्त किया जा सकेगा ।
6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2020-21 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा ।
7. दिनांक 23.10.2021 तक आमंत्रित व्याख्याता महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो यह स्वमेव प्रभावहीन माना जायेगा ।

PRINCIPAL
प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा
Distt. Balod (C.G.)

अर्जुन्दा, दिनांक 21/10/2021

पृ. क्र.300...../अतिथि व्या./2021
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ0ग0) ।
2. जिलाधीश, कलेक्टर कार्यालय बालोद (छ0ग0)
3. प्राचार्य (अग्रणी), शासकीय घनश्यामसिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद (छ0ग0) ।
4. जिला कोषालय अधिकारी बालोद (छ0ग0)
5. लेखा शाखा/स्थापना शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ0ग0) ।

PRINCIPAL
प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा
Distt. Balod (C.G.)



कार्यालय प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ0ग0)



website : www.gcarjunda.com NAAC grade B E-mail: govtcollege.arjunda1988@gmail.com

क्र. 303 / अतिथि व्या. / 2021
प्रति,

अर्जुन्दा, दिनांक 21/10/2021

डॉ. कुसुम देवांगन
जैन मंदिर के पास
इंदिरा पारा, भिलाई-3, दुर्ग

विषय:- अतिथि व्याख्याता वाणिज्य हेतु आमंत्रण ।

----- 00 -----

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 3-32/2020/38-1 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 12.10.2021 एवं कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 724/126/आउशि/राज.स्था./2021 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 18.10.2021 के तारतम्य में अतिथि व्याख्याता वाणिज्य हेतु आपको आमंत्रित किया जाता है ।

1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200 रु. जो प्रतिदिन 800 रु. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा ।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे ।
3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और नहीं वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और नहीं वह अन्य किसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है ।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Perferential Treatment) के हकदार होंगे ।
5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य मुक्त किया जा सकेगा ।
6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2020-21 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा ।
7. दिनांक 23.10.2021 तक आमंत्रित व्याख्याता महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो यह स्वमेव प्रभावहीन माना जायेगा ।

PRINCIPAL

शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा

Govt. College Arjunda

Distt. Balod (C.G.)

अर्जुन्दा, दिनांक 21/10/2021

पृ. क्र. 304 / अतिथि व्या. / 2021
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ0ग0) ।
2. जिलाधीश, कलेक्टर कार्यालय बालोद (छ0ग0)
3. प्राचार्य (अग्रणी), शासकीय घनश्यामसिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद (छ0ग0) ।
4. जिला कोषालय अधिकारी बालोद (छ0ग0)
5. लेखा शाखा/स्थापना शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ0ग0) ।

PRINCIPAL

शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा

Govt. College Arjunda

Distt. Balod (C.G.)



कार्यालय प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ०ग०)



website : www.gcarjunda.com NAAC grade B E-mail: govtcollege.arjunda1988@gmail.com

क्र.301...../अतिथि व्या./2021
प्रति,

अर्जुन्दा, दिनांक 21/10/2021

अमित कुमार
ग्राम - लाममेटा
पो. व तह. - छुरिया
राजनांदगांव

विषय:- अतिथि व्याख्याता प्राणीशास्त्र हेतु आमंत्रण ।

----- 00 -----

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 3-32/2020/38-1 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 12.10.2021 एवं कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 724/126/आउशि/राज.स्था./2021 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 18.10.2021 के तारतम्य में अतिथि व्याख्याता प्राणीशास्त्र हेतु आपको आमंत्रित किया जाता है ।

1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200 रु. जो प्रतिदिन 800 रु. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा ।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे ।
3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और नही वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और नही वह अन्य किसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है ।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Perferential Treatment) के हकदार होंगे ।
5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य मुक्त किया जा सकेगा ।
6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2020-21 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा ।
7. दिनांक 23.10.2021 तक आमंत्रित व्याख्याता महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो यह स्वमेव प्रभावहीन माना जायेगा ।

D.V.
PRINCIPAL
प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा
Govt. College, Arjunda
Distt. Balod (C.G.)

पृ. क्र.302...../अतिथि व्या./2021
प्रतिलिपि:-

अर्जुन्दा, दिनांक 21/10/2021

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ०ग०) ।
2. जिलाधीश, कलेक्टर कार्यालय बालोद (छ०ग०)
3. प्राचार्य (अग्रणी), शासकीय घनश्यामसिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद (छ०ग०) ।
4. जिला कोषालय अधिकारी बालोद (छ०ग०)
5. लेखा शाखा/स्थापना शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ०ग०) ।

D.V.
PRINCIPAL
प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा
Govt. College, Arjunda
Distt. Balod (C.G.)



कार्यालय प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ0ग0)



website : www.gcarjunda.com

NAAC grade B

E-mail: govtcollege.arjunda1988@gmail.com

क्र. 309 / अतिथि व्या. / 2021

अर्जुन्दा, दिनांक 21/10/2021

प्रति,

आदित्य कुमार
सिंगदई, वार्ड नं. 50
राजनांदगांव

विषय:- अतिथि व्याख्याता वनस्पतिशास्त्र हेतु आमंत्रण ।

----- 00 -----

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 3-32/2020/38-1 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 12.10.2021 एवं कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 724/126/आउशि/राज.स्था./2021 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 18.10.2021 के तारतम्य में अतिथि व्याख्याता वनस्पतिशास्त्र हेतु आपको आमंत्रित किया जाता है ।

1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200 रु. जो प्रतिदिन 800 रु. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा ।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे ।
3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और नहीं वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और नहीं वह अन्य किसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है ।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Perferential Treatment) के हकदार होंगे ।
5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य मुक्त किया जा सकेगा ।
6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2020-21 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा ।
7. दिनांक 23.10.2021 तक आमंत्रित व्याख्याता महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो यह स्वमेव प्रभावहीन माना जायेगा ।

PRINCIPAL

शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा

Govt. College Arjunda
Distt. Balod (C.G.)

अर्जुन्दा, दिनांक

पृ. क्र. / अतिथि व्या. / 2021

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ0ग0) ।
2. जिलाधीश, कलेक्टर कार्यालय बालोद (छ0ग0)
3. प्राचार्य (अग्रणी), शासकीय घनश्यामसिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद (छ0ग0) ।
4. जिला कोषालय अधिकारी बालोद (छ0ग0)
5. लेखा शाखा/स्थापना शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ0ग0) ।

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा



कार्यालय प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ0ग0)



website : www.gcarjunda.com

NAAC grade B

E-mail: govtcollege.arjunda1988@gmail.com

क्र. 295 / अतिथि व्या. / 2021

अर्जुन्दा, दिनांक 21/10/2021

प्रति,

तामेश्वर दास गहने
ग्रा. व पो. डुमरडीह, खुर्द
जिला- राजनांदगांव

विषय:- अतिथि व्याख्याता वाणिज्य हेतु आमंत्रण ।

----- 00 -----

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 3-32/2020/38-1 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 12.10.2021 एवं कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 724/126/आउशि/राज.स्था./2021 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 18.10.2021 के तारतम्य में अतिथि व्याख्याता वाणिज्य हेतु आपको आमंत्रित किया जाता है ।

1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200 रु. जो प्रतिदिन 800 रु. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा ।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे ।
3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और नही वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और नही वह अन्य किसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है ।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Perferential Treatment) के हकदार होंगे ।
5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य मुक्त किया जा सकेगा ।
6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2020-21 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा ।
7. दिनांक 23.10.2021 तक आमंत्रित व्याख्याता महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो यह स्वमेव प्रभावहीन माना जायेगा ।

PRINCIPAL
प्रिन्सिपल
शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा
Govt College, Arjunda
Distt. Balod (C.G.)
अर्जुन्दा, दिनांक 21/10/2021

पृ. क्र. 290 / अतिथि व्या. / 2021

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ0ग0) ।
2. जिलाधीश, कलेक्टर कार्यालय बालोद (छ0ग0)
3. प्राचार्य (अग्रणी), शासकीय घनश्यामसिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद (छ0ग0) ।
4. जिला कोषालय अधिकारी बालोद (छ0ग0)
5. लेखा शाखा/स्थापना शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ0ग0) ।

ok

PRINCIPAL
प्रिन्सिपल
शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा
Govt College, Arjunda
Distt. Balod (C.G.)



कार्यालय प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ0ग0)



website : www.gcarjunda.com NAAC grade B E-mail: govtcollege.arjunda1988@gmail.com

क्र. 302 / अतिथि व्या. / 2021

अर्जुन्दा, दिनांक 21/10/2021

प्रति,

लुकेश कुमार चंद्राकर
ग्रा व पो. - सिकोसा
गुण्डरदेही, बालोद

विषय:- अतिथि व्याख्याता हिन्दी हेतु आमंत्रण ।

----- 00 -----

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 3-32/2020/38-1 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 12.10.2021 एवं कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 724/126/आउशि/राज.स्था./2021 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 18.10.2021 के तारतम्य में अतिथि व्याख्याता हिन्दी हेतु आपको आमंत्रित किया जाता है ।

1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200 रु. जो प्रतिदिन 800 रु. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा ।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे ।
3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और नही वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और नही वह अन्य किसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है ।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Perferential Treatment) के हकदार होंगे ।
5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य मुक्त किया जा सकेगा ।
6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2020-21 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा ।
7. दिनांक 23.10.2021 तक आमंत्रित व्याख्याता महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो यह स्वमेव प्रभावहीन माना जायेगा ।



PRINCIPAL
Govt. College, Arjunda
शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा
Distt. Balod (C.G.)

अर्जुन्दा, दिनांक 21/10/2021

पृ. क्र. 308 / अतिथि व्या. / 2021

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ0ग0)।
2. जिलाधीश, कलेक्टर कार्यालय बालोद (छ0ग0)
3. प्राचार्य (अग्रणी), शासकीय घनश्यामसिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद (छ0ग0) ।
4. जिला कोषालय अधिकारी बालोद (छ0ग0)
5. लेखा शाखा/स्थापना शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ0ग0) ।


प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा
Govt. College, Arjunda
Distt. Balod (C.G.)



कार्यालय प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ0ग0)



website : www.gcarjunda.com NAAC grade B E-mail: govtcollege.arjunda1988@gmail.com

क्र. 287 / अतिथि व्या. / 2021

अर्जुन्दा, दिनांक 21/10/2021

प्रति,


डॉ. राजकुमारी गजपाल
ग्रा. व पो. सिकोसा
तह. गुण्डरदेही, बालोद

विषय:- अतिथि व्याख्याता समाजशास्त्र हेतु आमंत्रण ।

----- 00 -----

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 3-32/2020/38-1 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 12.10.2021 एवं कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 724/126/आउशि/राज.स्था./2021 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 18.10.2021 के तारतम्य में अतिथि व्याख्याता समाजशास्त्र हेतु आपको आमंत्रित किया जाता है ।


1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200 रु. जो प्रतिदिन 800 रु. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा ।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे ।
3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और नहीं वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और नहीं वह अन्य किसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है ।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Perferential Treatment) के हकदार होंगे ।
5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य मुक्त किया जा सकेगा ।
6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2020-21 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा ।
7. दिनांक 23.10.2021 तक आमंत्रित व्याख्याता महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो यह स्वमेव प्रभावहीन माना जायेगा ।


PRINCIPAL
शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा
Distt. Balod (C.G.)
अर्जुन्दा, दिनांक 21/10/2021

पृ. क्र. 288 / अतिथि व्या. / 2021

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ0ग0)।
2. जिलाधीश, कलेक्टर कार्यालय बालोद (छ0ग0)
3. प्राचार्य (अग्रणी), शासकीय घनश्यामसिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद (छ0ग0) ।
4. जिला कोषालय अधिकारी बालोद (छ0ग0)
5. लेखा शाखा/स्थापना शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ0ग0) ।


PRINCIPAL
शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा
Distt. Balod (C.G.)



कार्यालय प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ0ग0)



website : www.gcarjunda.com NAAC grade B E-mail: govtcollege.arjunda1988@gmail.com

क्र.305...../अतिथि व्या./2021

अर्जुन्दा, दिनांक 21/10/2021

प्रति,

धर्मन्द्र कुमार साहू
ग्रा. व. पो.- कुथरेल, दुर्ग

विषय:- अतिथि व्याख्याता अर्थशास्त्र हेतु आमंत्रण ।

----- 00 -----

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 3-32/2020/38-1 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 12.10.2021 एवं कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 724/126/आउशि/राज.स्था./2021 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 18.10.2021 के तारतम्य में अतिथि व्याख्याता अर्थशास्त्र हेतु आपको आमंत्रित किया जाता है ।

1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200 रु. जो प्रतिदिन 800 रु. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा ।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे ।
3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और नहीं वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और नहीं वह अन्य किसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है ।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Perferential Treatment) के हकदार होंगे ।
5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य मुक्त किया जा सकेगा ।
6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2020-21 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा ।
7. दिनांक 23.10.2021 तक आमंत्रित व्याख्याता महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो यह स्वमेव प्रभावहीन माना जायेगा ।

पृ. क्र.306...../अतिथि व्या./2021

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ0ग0) ।
2. जिलाधीश, कलेक्टर कार्यालय बालोद (छ0ग0)
3. प्राचार्य (अग्रणी), शासकीय घनश्यामसिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद (छ0ग0) ।
4. जिला कोषालय अधिकारी बालोद (छ0ग0)
5. लेखा शाखा/स्थापना शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ0ग0) ।

PRINCIPAL
Govt. College, Arjunda
Distt. Balod (C.G.)
अर्जुन्दा, दिनांक 21/10/2021

प्राचार्य
PRINCIPAL
शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा
Govt. College, Arjunda
Distt. Balod (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ0ग0)
Phone No. 0788-2101010 NAAC-"B" Grade E-mail:govtcollege.arjunda1988@gmail.com

क्रमांक 203 / अतिथि.व्या./2019
प्रति,

अर्जुन्दा, दिनांक 03/09/2019

डॉ० कुसुम देवांगन
जैन मंदिर के पास
भिलाई-3, दुर्ग (छ0ग0)

विषय:-कर्तव्य स्थल में उपस्थित बाबत्।

संदर्भ:-विषयांतर्गत आपका पत्र क्रमांक 1446/243/आउशि/अ.व्या./2019 दिनांक 31.08.2019.

.....00.....

विषयांतर्गत पत्र के संदर्भित पत्रादेशों के अनुपालन में आपको कार्यभार ग्रहण कर नियुक्ति संबंधी शासन-प्रशासन के निम्नांकित नियमों एवं शर्तों के अध्यक्षीन अतिथि व्याख्याता वाणिज्य की सेवा प्रदान करने की आज दिनांक 3.9.19 से अनुमति दी जाती है।

नियम एवं शर्तें -

1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200 रु. जो प्रतिदिन 800 रु. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे।
3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और नही वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और नही वह अन्य किसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Perferential Treatment) के हकदार होंगे।
5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य मुक्त किया जा सकेगा।
6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2019-20 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा।

PRINCIPAL

प्र. प्राचार्य
Govt. College, Arjunda
शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा
Distt. Balod (C.G.)
अर्जुन्दा, दिनांक 03/09/2019

पृ क्र. 204 / अतिथि.व्या./2019
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ0ग0)।
2. जिलाधीश, कलेक्टर कार्यालय बालोद (छ0ग0)
3. प्राचार्य (अग्रणी), शासकीय घनश्यामसिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद (छ0ग0)।
4. जिला क्रोषालय अधिकारी बालोद (छ0ग0)
5. लेखा शाखा/स्थापना शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ0ग0)।

PRINCIPAL

Govt. College, Arjunda
Distt. Balod (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ0ग0)

Phone No. 0788-2101010

NAAC-"B" Grade

E-mail:govtcollege.arjunda1988@gmail.com

क्रमांक.....205...../अतिथि.व्या./2019
प्रति,

अर्जुन्दा, दिनांक 03/09/2019

कु0 दिव्या साहू

मिनी LIG-355 पदमनाभपुर

दुर्ग (छ0ग0)

विषय:-कर्तव्य स्थल में उपस्थित बाबत।


संदर्भ:-विषयांतर्गत आपका पत्र क्रमांक 1446/243/आउशि/अ.व्या./2019 दिनांक 31.08.2019.

.....00.....

विषयांतर्गत पत्र के संदर्भित पत्रादेशों के अनुपालन में आपको कार्यभार ग्रहण कर नियुक्ति संबंधी शासन-प्रशासन के निम्नांकित नियमों एवं शर्तों के अध्यक्षीन अतिथि व्याख्याता वाणिज्य की सेवा प्रदान करने की आज दिनांक 3.9.19 से अनुमति दी जाती है।

नियम एवं शर्तें -

1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200 रु. जो प्रतिदिन 800 रु. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे।
3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और नही वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और नही वह अन्य किसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Perferential Treatment) के हकदार होंगे।
5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य मुक्त किया जा सकेगा।
6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2019-20 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा।


PRINCIPAL

प्र. प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा
अर्जुन्दा, दिनांक 03/09/2019
Govt. College, Arjunda
Distt. Balod (C.G.)

पृ क्र. 206 /अतिथि.व्या./2019
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ0ग0)।
2. जिलाधीश, कलेक्टर कार्यालय बालोद (छ0ग0)
3. प्राचार्य (अग्रणी), शासकीय घनश्यामसिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद (छ0ग0)।
4. जिला कोषालय अधिकारी बालोद (छ0ग0)
5. लेखा शाखा/स्थापना शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ0ग0)।


PRINCIPAL

Govt. College, Arjunda
Distt. Balod (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ०ग०)

Phone No. 0788-2101010

NAAC-"B" Grade

E-mail:govtcollege.arjunda1988@gmail.com

अर्जुन्दा, दिनांक ०३/०९/२०१९

क्रमांक २०७ / अतिथि.व्या. / 2019

प्रति,

मनोज कुमार साहू

ग्राम-इंदवानी (सोमनी)

पो०-टेडेसरा, राजनांदगांव (छ०ग०)

विषय:-कर्तव्य स्थल में उपस्थित बाबत।

संदर्भ:-विषयांतर्गत आपका पत्र क्रमांक 1446/243/आउशि/अ.व्या./2019 दिनांक 31.08.2019.

.....00.....

विषयांतर्गत पत्र के संदर्भित पत्रादेशों के अनुपालन में आपको कार्यभार ग्रहण करं नियुक्ति संबंधी शासन-प्रशासन के निम्नांकित नियमों एवं शर्तों के अधधीन अतिथि व्याख्याता राजनीति विज्ञान की सेवा प्रदान करने की आज दिनांक ३.९.१९ से अनुमति दी जाती है।

नियम एवं शर्तें -

1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200 रु. जो प्रतिदिन 800 रु. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा ।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगें और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगें ।
3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और नहीं वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और नहीं वह अन्य किसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है ।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Perferential Treatment) के हकदार होंगे ।
5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य मुक्त किया जा सकेगा ।
6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2019-20 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा ।


PRINCIPAL

प्र. प्राचार्य
Govt. College, Arjunda
शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा
Distt. Balod (C.G.)
अर्जुन्दा, दिनांक ०३/०९/२०१९

पृ क्र. २०८ / अतिथि.व्या. / 2019

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ०ग०) ।
2. जिलाधीश, कलेक्टर कार्यालय बालोद (छ०ग०)
3. प्राचार्य (अग्रणी), शासकीय घनश्यामसिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद (छ०ग०) ।
4. जिला कोषालय अधिकारी बालोद (छ०ग०)
5. लेखा शाखा/स्थापना शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ०ग०) ।


PRINCIPAL

Govt. College, Arjunda
Distt. Balod (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ0ग0)

Phone No. 0788-2101010

NAAC-"B" Grade

E-mail:govtcollege.arjunda1988@gmail.com

क्रमांक.....209...../अतिथि.व्या./2019
प्रति,

अर्जुन्दा, दिनांक 03/09/2019

धर्मेन्द्र कुमार साहू

ग्राम व पो0- कुथरेल

तह0 व जिला- दुर्ग (छ0ग0)

विषय:-कर्तव्य स्थल में उपस्थित बाबत।

संदर्भ:-विषयांतर्गत आपका पत्र क्रमांक 1446/243/आउशि/अ.व्या./2019 दिनांक 31.08.2019.

.....00.....

विषयांतर्गत पत्र के संदर्भित पत्रादेशों के अनुपालन में आपको कार्यभार ग्रहण कर नियुक्ति संबंधी शासन-प्रशासन के निम्नांकित नियमों एवं शर्तों के अध्वधीन अतिथि व्याख्याता अर्थशास्त्र की सेवा प्रदान करने की आज दिनांक 3.9.19 से अनुमति दी जाती है।

नियम एवं शर्तें -


1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200 रु. जो प्रतिदिन 800 रु. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे।
3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और नहीं वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और नहीं वह अन्य किसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Perferential Treatment) के हकदार होंगे।
5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य मुक्त किया जा सकेगा।
6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2019-20 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा।।


PRINCIPAL

प्र. प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा
Distt. Balod (C.G.)
अर्जुन्दा, दिनांक 03/09/2019

पृ क्र. 210 /अतिथि.व्या./2019
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ0ग0)।
2. जिलाधीश, कलेक्टर कार्यालय बालोद (छ0ग0)
3. प्राचार्य (अग्रणी), शासकीय घनश्यामसिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद (छ0ग0)।
4. जिला कोषालय अधिकारी बालोद (छ0ग0)
5. लेखा शाखा/स्थापना शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ0ग0)।


PRINCIPAL
Govt. College, Arjunda
Distt. Balod (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ0ग0)

Phone No. 0788-2101010

NAAC-"B" Grade

E-mail:govtcollege.arjunda1988@gmail.com

क्रमांक.....211...../अतिथि.व्या./2019
प्रति,

अर्जुन्दा, दिनांक 03/09/2019

अमित कुमार

ग्राम- लाममेटा, पो0 व तह0-छुरिया,

जिला- राजनांदगांव (छ0ग0)

विषय:-कर्तव्य स्थल में उपस्थित बाबत।


संदर्भ:-विषयांतर्गत आपका पत्र क्रमांक 1446/243/आउशि/अ.व्या./2019 दिनांक 31.08.2019.

.....00.....

विषयांतर्गत पत्र के संदर्भित पत्रादेशों के अनुपालन में आपको कार्यभार ग्रहण कर नियुक्ति संबंधी शासन-प्रशासन के निम्नांकित नियमों एवं शर्तों के अधीन अतिथि व्याख्याता जन्तुविज्ञान की सेवा प्रदान करने की आज दिनांक 3.9.19 से अनुमति दी जाती है।

नियम एवं शर्तें -

1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200 रु. जो प्रतिदिन 800 रु. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे।
3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और नही वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और नही वह अन्य किसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Perferential Treatment) के हकदार होंगे।
5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य मुक्त किया जा सकेगा।
6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2019-20 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा।


PRINCIPAL

Govt. College, Arjunda

शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा

Distt. Balod (C.G.)
अर्जुन्दा, दिनांक 03/09/2019

पृ क्र. 212 /अतिथि.व्या./2019
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ0ग0)।
2. जिलाधीश, कलेक्टर कार्यालय बालोद (छ0ग0)
3. प्राचार्य (अग्रणी), शासकीय घनश्यामसिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद (छ0ग0)।
4. जिला कोषालय अधिकारी बालोद (छ0ग0)
5. लेखा शाखा/स्थापना शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ0ग0)।


PRINCIPAL

Govt. College, Arjunda
Distt. Balod (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ0ग0)

Phone No. 0788-2101010

NAAC-"B" Grade

E-mail:govtcollege.arjunda1988@gmail.com

क्रमांक 213 / अतिथि.व्या./2019
प्रति,

अर्जुन्दा, दिनांक 03/09/2019

आदित्य कुमार

सिंगदई, वार्ड नं.-50

राजनांदगांव (छ0ग0)

विषय:-कर्तव्य स्थल में उपस्थित बाबत।

संदर्भ:-विषयांतर्गत आपका पत्र क्रमांक 1446/243/आउशि/अ.व्या./2019 दिनांक 31.08.2019.

.....00.....

विषयांतर्गत पत्र के संदर्भित पत्रादेशों के अनुपालन में आपको कार्यभार ग्रहण कर नियुक्ति संबंधी शासन-प्रशासन के निम्नांकित नियमों एवं शर्तों के अध्यक्षीन अतिथि व्याख्याता वनस्पतिशास्त्र की सेवा प्रदान करने की आज दिनांक 3.9.19 से अनुमति दी जाती है।

नियम एवं शर्तें -

1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200 रु. जो प्रतिदिन 800 रु. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे।
3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और नहीं वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और नहीं वह अन्य किसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Perferential Treatment) के हकदार होंगे।
5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य मुक्त किया जा सकेगा।
6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2019-20 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा।

PRINCIPAL

प्र. प्राचार्य
Govt. College, Arjunda
शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा
Distt. Balod (C.G.)
अर्जुन्दा, दिनांक 03/09/2019

पृ क्र. 214 / अतिथि.व्या./2019

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ0ग0)।
2. जिलाधीश, कलेक्टर कार्यालय बालोद (छ0ग0)
3. प्राचार्य (अग्रणी), शासकीय घनश्यामसिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद (छ0ग0)।
4. जिला कोषालय अधिकारी बालोद (छ0ग0)
5. लेखा शाखा/स्थापना शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ0ग0)।

PRINCIPAL

Govt. College, Arjunda
Distt. Balod (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ0ग0)
Phone No. 0788-2101010 NAAC-"B" Grade E-mail:govtcollege.arjunda1988@gmail.com

क्रमांक.....215...../अतिथि.व्या./2019
प्रति,

अर्जुन्दा, दिनांक 03/09/2019

लुकेश कुमार चन्द्राकर
ग्रा0 व पो0- सिकोसा
तह0-गुण्डरदेही, जिला-बालोद (छ0ग0)

विषय:-कर्तव्य स्थल में उपस्थित बाबत।

संदर्भ:-विषयांतर्गत आपका पत्र क्रमांक 1446/243/आउशि/अ.व्या./2019 दिनांक 31.08.2019.

.....00.....

विषयांतर्गत पत्र के संदर्भित पत्रादेशों के अनुपालन में आपको कार्यभार ग्रहण कर नियुक्ति संबंधी शासन-प्रशासन के निम्नांकित नियमों एवं शर्तों के अधीन अतिथि व्याख्याता हिन्दी की सेवा प्रदान करने की आज दिनांक 3.9.19 से अनुमति दी जाती है।

नियम एवं शर्तें --

1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्याता 200 रु. जो प्रतिदिन 800 रु. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे।
3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और नहीं वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और नहीं वह अन्य किसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Perferential Treatment) के हकदार होंगे।
5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य मुक्त किया जा सकेगा।
6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2019-20 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा।


PRINCIPAL

प्र. प्राचार्य, College, Arjunda
शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा (C.G.)
अर्जुन्दा, दिनांक 03/09/2019

पृ क्र. 216 /अतिथि.व्या./2019
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ0ग0)।
2. जिलाधीश, कलेक्टर कार्यालय बालोद (छ0ग0)
3. प्राचार्य (अग्रणी), शासकीय घनश्यामसिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद (छ0ग0)।
4. जिला कोषालय अधिकारी बालोद (छ0ग0)
5. लेखा शाखा/स्थापना शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ0ग0)।


PRINCIPAL

Govt. College, Arjunda
Distt. Balod (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ0ग0)
Phone No. 0788-2101010 NAAC-"B" Grade E-mail:govtcollege.arjunda1988@gmail.com

क्रमांक.....217...../अतिथि.व्या./2019
प्रति,

अर्जुन्दा, दिनांक 03/09/2019

कल्पना देशमुख
ब्लॉक-3, ROOM-L, STREET-10,
SECTOR-6, भिलाई नगर (छ0ग0)

विषय:-कर्तव्य स्थल में उपस्थित बाबत।

संदर्भ:-विषयांतर्गत आपका पत्र क्रमांक 1446/243/आउशि/अ.व्या./2019 दिनांक 31.08.2019.

.....00.....

विषयांतर्गत पत्र के संदर्भित पत्रादेशों के अनुपालन में आपको कार्यभार ग्रहण कर नियुक्ति संबंधी शासन-
प्रशासन के निम्नांकित नियमों एवं शर्तों के अधधीन अतिथि व्याख्याता गणित की सेवा प्रदान करने की आज
दिनांक 3.9.19 से अनुमति दी जाती है।

नियम एवं शर्तें -


1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200 रु. जो प्रतिदिन 800 रु. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा ।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे ।
3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और नही वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और नही वह अन्य किसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है ।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Perferential Treatment) के हकदार होंगे ।
5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य मुक्त किया जा सकेगा ।
6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2019-20 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा


PRINCIPAL

प्र. सचिव
Govt. College, Arjunda
शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा
Distt. Balod (C.G.)
अर्जुन्दा, दिनांक 03/09/2019

पृ क्र. 218 /अतिथि.व्या./2019
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ0ग0) ।
2. जिलाधीश, कलेक्टर कार्यालय बालोद (छ0ग0)
3. प्राचार्य (अग्रणी), शासकीय घनश्यामसिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद (छ0ग0) ।
4. जिला कोषालय अधिकारी बालोद (छ0ग0)
5. लेखा शाखा/स्थापना शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ0ग0) ।


PRINCIPAL
Govt. College, Arjunda
Distt. Balod (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ0ग0)

Phon No. 0788-2101010

क्रमांक 28 / अतिथि.व्या. / 2016

E-mail:govtcollege.arjunda1988@gmail.com

अर्जुन्दा, दिनांक 25/07/2016

प्रति,

कु. ललिता साहू

सोनकर पारा नंदई, वार्ड नं.- 48

राजनांदगांव

विषय:-अतिथि व्याख्याता (जन्तु विज्ञान) हेतु आमंत्रण ।

.....00.....

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र पृ. क्रमांक 2845/एफ-4-7/2012/38-1 रायपुर, दिनांक 27.07.2012 एवं कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 255/243/आउशि/अ.व्या./2014 रायपुर, दिनांक 18.07.2014 के तारतम्य में अतिथि व्याख्याता जन्तु विज्ञान हेतु आपको आमंत्रित किया जाता है ।

1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200 रु. जो प्रतिदिन 800 रु. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा ।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे ।
3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और नहीं वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और नहीं वह अन्य किसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है ।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Perferential Treatment) के हकदार होंगे ।
5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य मुक्त किया जा सकेगा ।
6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2016-17 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा ।
7. दिनांक 28/07/2016 तक आमंत्रित व्याख्याता महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो यह स्वमेव प्रभावहीन माना जायेगा ।

पृ क्र. / अतिथि.व्या. / 2016

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ0ग0) ।
2. जिला कोषालय अधिकारी बालोद (छ0ग0)
3. लेखा शाखा/स्थापना शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ0ग0) ।

(डॉ. संतोष कुमार शर्मा)

प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा
Govt. College Arjunda
Dist. - Balod (C.G.) 07/2016

प्राचार्य

2

Govt. College Arjunda
Dist. - Balod (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ0ग0)

Phon No. 0788-2101010

E-mail:govtcollege.arjunda1988@gmail.com

क्रमांक 219 / अतिथि.व्या. / 2016
प्रति,

अर्जुन्दा, दिनांक 25/07/2016

दिव्या साहू

मीनी एल आई जी 355

पदमनाभपुर, दुर्ग

विषय:-अतिथि व्याख्याता (वाणिज्य) हेतु आमंत्रण ।

.....00.....

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र पृ. क्रमांक 2845/एफ-4-7/2012/38-1 रायपुर, दिनांक 27.07.2012 एवं कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 255/243/आउशि/अ.व्या./2014 रायपुर, दिनांक 18.07.2014 के तारतम्य में अतिथि व्याख्याता वाणिज्य हेतु आपको आमंत्रित किया जाता है ।

1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200 रु. जो प्रतिदिन 800 रु. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा ।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे ।
3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और नहीं वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और नहीं वह अन्य किसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है ।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Perferential Treatment) के हकदार होंगे ।
5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य मुक्त किया जा सकेगा ।
6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2016-17 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा ।
7. दिनांक 28/07/2016 तक आमंत्रित व्याख्याता महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो यह स्वमेव प्रभावहीन माना जायेगा ।


(डा. संतोष कुमार शर्मा)

प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा
अतिथि.व्या. / 25/07/2016
Govt. College Arjunda
Dist. Balod (C.G.)

पृ क्र. / अतिथि.व्या. / 2016
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ0ग0) ।
2. जिला कोषालय अधिकारी बालोद (छ0ग0)
3. लेखा शाखा/स्थापना शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ0ग0) ।


प्राचार्य

Principal
Govt. College Arjunda
Dist. Balod (C.G.)



कार्यालय प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ0ग0)

Phon No. 0788-2101010

E-mail:govtcollege.arjunda1988@gmail.com

क्रमांक 219 / अतिथि.व्या./ 2016

अर्जुन्दा, दिनांक 25/07/2016

प्रति,

कु. पुजा सिंह

द्वारा 1576 साई सदन,

आदर्श नगर, दुर्ग

विषय:-अतिथि व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) हेतु आमंत्रण ।

.....00.....

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र पृ. क्रमांक 2845/एफ-4-7/2012/38-1 रायपुर, दिनांक 27.07.2012 एवं कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 255/243/आउशि/अ.व्या./2014 रायपुर, दिनांक 18.07.2014 के तारतम्य में अतिथि व्याख्याता राजनीति विज्ञान हेतु आपको आमंत्रित किया जाता है ।

1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200 रु. जो प्रतिदिन 800 रु. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा ।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे ।
3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और नहीं वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और नहीं वह अन्य किसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है ।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Perferential Treatment) के हकदार होंगे ।
5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य मुक्त किया जा सकेगा ।
6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2016-17 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा ।
7. दिनांक 28/07/2016 तक आमंत्रित व्याख्याता महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो यह स्वमेव प्रभावहीन माना जायेगा ।



(डॉ. संतोष कुमार शर्मा)

प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा,
अर्जुन्दा, दिनांक 25/07/2016
Dist. Balod (C.G.)

पृ. क्र. / अतिथि.व्या./ 2016

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ0ग0) ।
2. जिला कोषालय अधिकारी बालोद (छ0ग0)
3. लेखा शाखा/स्थापना शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ0ग0) ।

o/c



प्राचार्य

Principal
Govt. College Arjunda
Dist. Balod (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ0ग0)

Phon No. 0788-2101010

क्रमांक 219 / अतिथि.व्या. / 2016
प्रति,

E-mail:govtcollege.arjunda1988@gmail.com

अर्जुन्दा, दिनांक 25/07/2016

डॉ. कुसुम देवांगन

श्री गुहाराम देवांगन, जैन मंदिर के पास,


इंदिरा पारा भिलाई -03, (दुर्ग)

विषय:-अतिथि व्याख्याता (वाणिज्य) हेतु आमंत्रण ।

.....00.....

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र पृ. क्रमांक 2845/एफ-4-7/2012/38-1 रायपुर, दिनांक 27.07.2012 एवं कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 255/243/आउशि/अ.व्या./2014 रायपुर, दिनांक 18.07.2014 के तारतम्य में अतिथि व्याख्याता वाणिज्य हेतु आपको आमंत्रित किया जाता है ।

1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200 रु. जो प्रतिदिन 800 रु. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा ।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे ।
3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और नहीं वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और नहीं वह अन्य किसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है ।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Perferential Treatment) के हकदार होंगे ।
5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य मुक्त किया जा सकेगा ।
6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2016-17 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा ।
7. दिनांक 28/07/2016 तक आमंत्रित व्याख्याता महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो यह स्वमेव प्रभावहीन माना जायेगा ।


(डॉ. संतोष कुमार शर्मा)
प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा,
अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ0ग0) 26/07/2016
Govt. College Arjunda
Dist. Balod (C.G.)

पृ क्र. / अतिथि.व्या. / 2016
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ0ग0) ।
2. जिला कोषालय अधिकारी बालोद (छ0ग0)
3. लेखा शाखा/स्थापना शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ0ग0) ।

OK


प्राचार्य

Principal
Govt. College Arjunda
Dist. Balod (C.G.)

श्री. नूतन शर्मा
श्री. पी. सिंधोला

जिला- राजनादगांव

विषय-अतिथि व्याख्याता (वनस्पति विज्ञान) हेतु आमंत्रण ।

00

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र पृ. क्रमांक 2845/एफ-4-7/2012/38-1 रायपुर, दिनांक 27.07.2012 एवं कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 255/243/आउशि/अ.व्या./2014 रायपुर, दिनांक 18.7.16 के तारतम्य में, अतिथि व्याख्याता वनस्पति विज्ञान हेतु आपको आमंत्रित किया जाता है।

1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200 रु. जो प्रतिदिन 800 रु. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा ।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे ।
3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और नही वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और नही वह अन्य किसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है ।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Perferential Treatment) के हकदार होंगे ।
5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य मुक्त किया जा सकेगा ।
6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2016-17 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा ।
7. दिनांक 24/08/2016 तक आमंत्रित व्याख्याता महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो यह स्वमेव प्रभावहीन माना जायेगा ।

(डॉ. संतोष कुमार शर्मा)

PRINCIPAL,
Govt. College Arjunda
Distt. Balod (C.G.)

पृ. क्र. 270 / अतिथि.व्या./2016
प्रतिलिपि-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तले इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ0ग0) ।
2. जिला कोषालय अधिकारी बालोद (छ0ग0)
3. लेखा शाखा/स्थापना शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ0ग0) ।

PRINCIPAL,
Govt. College Arjunda
Distt. Balod (C.G.)